स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

संसदीय कार्य मंत्रालय

Ministry of Parliamentary Affairs

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

G20 भारत 2023 INDIA

विषय वस्तु

अध्याय-1 प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना 1

प्रस्तावना 1

संगठनात्मक संरचना 2

अध्याय-2 संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान.....**4**

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान 4

सत्र 4

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें (पहली से सत्रहवीं लोक सभा) 5

अध्याय-3 राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश.....7

राष्ट्रपति का अभिभाषण 7

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान 7

अध्यादेश 8

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2022 (अभी तक) तक प्रख्यापित अध्यादेश 8

अध्याय-4 संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण.....12

सरकारी कार्य 12

सरकारी कार्य की आयोजना 12

सरकारी कार्य का प्रबंधन 15

निष्पादित सरकारी कार्य का सार 15

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव 16

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प.....16

सरकारी समय का मुख्य आबंटन 17

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय 18

अन्य गैर-सरकारी कार्य 18

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या (1952 से 2022).....18

अध्याय-5 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य.....20

लोक सभा 20

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा.....20

राज्य सभा 21

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा.....21

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा.....21

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख.....21

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.....22

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 23

वर्ष 1952 से 2022 तक संसद द्वारा पारित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.....24

लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प.....25

अध्याय-6 आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण.....26
सामान्य प्रक्रिया 26
लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई 28
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन 29
अध्याय-7 लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख.....30
नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले.....30
नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख 30
अनुवर्ती कार्रवाई 31
प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई 31
अध्याय-8 परामर्शदात्री समितियां.....33
अध्याय-9 संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान.....36
विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन.....36
हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री के साथ घाना के संसदीय शिष्टमंडल की बैठक..... 36
संसद सदस्यों के विदेश दौरे.....37
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति.....38
विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति 38
अध्याय-10 युवा संसद योजना.....39
प्रस्तावना 39
शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता.....40
केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....41
जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 44
विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....46
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता 46
"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल 47
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम.....48
अध्याय-11 मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग.....50
राजभाषा कार्यान्वयन समिति.....50
हिंदी सलाहकार समिति 50
हिंदी पखवाड़ा.....50
हिंदी कार्यशाला.....53
अध्याय-12 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा).....54
प्रस्तावना.....54
ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र.....56
वर्ष 2022 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम.....63
नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें.....69
नेवा पर गण्यमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां.....70
राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां.....71
नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति.....76
नेवा सारांश.....80

अध्याय-13 सामान्य.....82
सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन.....82
हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन 82
संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....82
संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन.....83
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....83
नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था 83
अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन.....83
केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....84
संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं.....84
संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क.....85
अनुसंधान कार्य.....86
बजट की स्थिति.....87
वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा परीक्षा पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति.....88
दिव्यांगजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप.....88
स्वच्छता पखवाड़ा.....88
लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान.....89
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह.....89
संविधान दिवस समारोह, 2022.....89

परिशिष्ट-1.....104
परिशिष्ट-2.....105
परिशिष्ट-3.....107
परिशिष्ट-4.....109
परिशिष्ट-5.....111
परिशिष्ट-6.....113
परिशिष्ट-7.....130
परिशिष्ट-8.....136
परिशिष्ट-9.....138
परिशिष्ट-10.....143
परिशिष्ट-11.....145
परिशिष्ट-12.....147
परिशिष्ट-13.....148
परिशिष्ट-14.....153

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था जो बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए "भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961" के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और उनके सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन भी करती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू पारण सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 39/40 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ऑफलाइन मोड की प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त, हाल ही में, भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ - "संविधान दिवस" मनाने के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया। वेब पोर्टल का उद्देश्य देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंध मजबूत करने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के विदेश दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं:-

1.	श्री प्रल्हाद जोशी, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 30.05.2019 से आगे।	
2.	श्री वी. मुरलीधरन, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।	
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।	

संसदीय कार्य मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है:

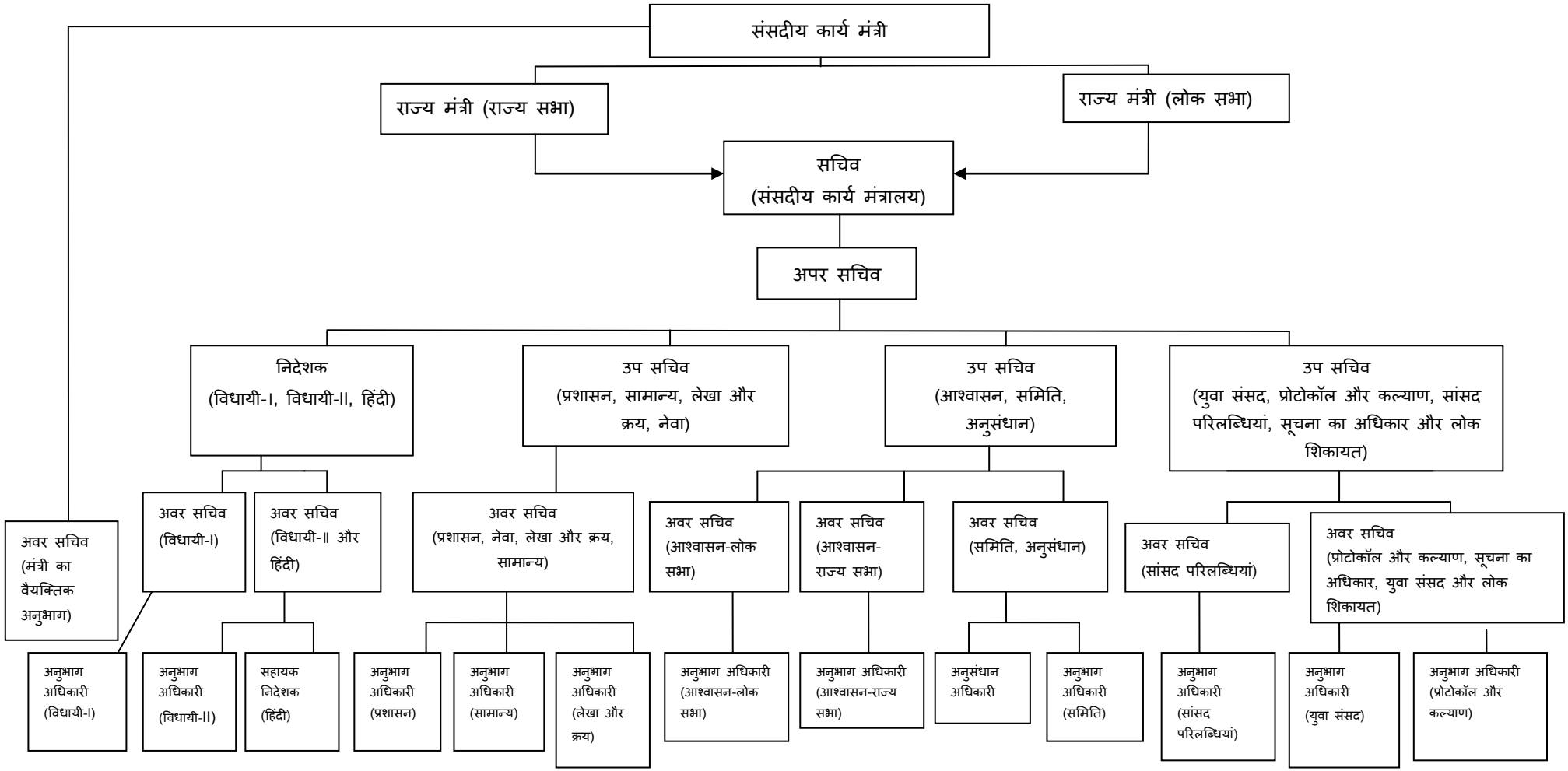

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

- दिनांक 1.1.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा की 56 बैठकें हुईं।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते/सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के तीन सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा				
सत्र	**समन की तारीख**	**अवधि**	**बैठकें**	**दिन**
8वां	14.01.2022	31 जनवरी, 2022 से 07 अप्रैल, 2022	27	67
9वां	30.06.2022	18 जुलाई, 2022 से 08 अगस्त, 2022	16	22
10वां	19.11.2022	07 दिसंबर, 2022 से 23 दिसंबर, 2022	13	17

राज्य सभा				
256वां	14.01.2022	31 जनवरी, 2022 से 07 अप्रैल, 2022	27	67
257वां	30.06.2022	18 जुलाई, 2022 से 08 अगस्त, 2022	16	22
258वां	19.11.2022	07 दिसंबर, 2022 से 23 दिसंबर, 2022	13	17

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
8वां	07 अप्रैल, 2022	08 अप्रैल, 2022
9वां	08 अगस्त, 2022	17 अगस्त, 2022
10वां	23 दिसंबर, 2022	24 दिसंबर, 2022
राज्य सभा		
256वां	07 अप्रैल, 2022	08 अप्रैल, 2022
257वां	08 अगस्त, 2022	17 अगस्त, 2022
258वां	23 दिसंबर, 2022	24 दिसंबर, 2022

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें
(पहली से सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91

दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019	17.06.2019	16.06.2024	----

*1. मध्यावधि चुनाव हुए थे, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कॉलम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक जिन मामलों का अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 राष्ट्रपति द्वारा कलैंडर वर्ष 2022 के पहले सत्र के आरंभ में **31 जनवरी, 2022** को अभिभाषण दिया गया था। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

सत्रहवीं लोक सभा का आठवां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री हरीश द्विवेदी (प्रस्तावक) श्री कमलेश पासवान (अनुमोदक)	2, 3, 4 और 7 फरवरी, 2022 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 256वां सत्र	
श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा (प्रस्तावक) श्री श्वेत मलिक (अनुमोदक)	2, 3, 7 और 8 फरवरी, 2022 (स्वीकृत)

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के

समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने की तारीख से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभावी हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, **कोई अध्यादेश** प्रख्यापित नहीं किया गया।

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2022 (अभी तक) तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10

1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	16
2020	14	2021	10
2022	--		

औसत लोक सभा-वार = 717/17=42.17 अध्यादेश प्रति लोक सभा
औसत वर्ष-वार = 717/70=10.09 अध्यादेश प्रतिवर्ष
समग्र औसत = 717/70=10.09 अध्यादेश प्रतिवर्ष

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)

चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस(आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979 तक; कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)

सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 26 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक)
सत्रहवीं लोक सभा	25 मई, 2019 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 30 मई, 2019 से आगे)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

<u>एक झलक</u>

- वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 25 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी एक बैठक 14 नवंबर, 2022 को शीतकालीन सत्र, 2022 से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई - पहली बैठक 22 मार्च, 2022 को बजट सत्र, 2022 के दौरान, दूसरी बैठक 6 जुलाई, 2022 को मानसून सत्र से पहले और तीसरी बैठक 15 नवंबर, 2022 को शीतकालीन सत्र, 2022

से पहले। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सत्रों की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ तीन बैठकें बुलाई - पहली बैठक दिनांक 31.01.2022 को बजट सत्र, 2022 से पहले, दूसरी बैठक दिनांक 17.07.2022 को मानसून सत्र, 2022 से पहले और तीसरी बैठक दिनांक 06.12.2022 को शीतकालीन सत्र, 2022 से पहले। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा हेतु भाग लेने की तैयारी कर सकें।

श्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री ने बजट सत्र, 2023 की शुरुआत से पहले 18.01.2023 को विधायी और अन्य मदों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय भी बैठक में मौजूद थे।

श्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री ने शीतकालीन सत्र, 2022 के बाद 23.12.2022 को प्रेस के सदस्यों को जानकारी दी।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में 9 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की क्रमश: 60 और 55 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 68 मदों (लोक सभा - 30, राज्य सभा - 38) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सत्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र की समाप्ति पर कुल 33 विधेयक (लोक सभा में 9 विधेयक और राज्य सभा में 24 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 28 विधेयक (27 विधेयक लोक सभा में और 1 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए, जिससे लंबित विधेयकों की कुल संख्या 61 हो गई। इनमें से, दोनों सदनों द्वारा 25 विधेयक (**परिशिष्ट-2**) पारित किए गए। एक विधेयक (लोक सभा में) वापस लिया गया। सत्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र और राज्य सभा के 258वें सत्र की समाप्ति पर, संसद के दोनों सदनों में कुल 35 विधेयक (लोक सभा में 9 विधेयक और राज्य सभा में 26 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों, सदनों में प्रस्तुत किए गए और पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें भेजे गए मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और मूल दीर्घकालीन नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, केंद्रीय बजट (रेल सहित) पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्रस्तुत, विचार और स्वीकृत किए गए सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विषय	तारीख (तारीखें)	लोक सभा		तारीख (तारीखें)	राज्य सभा	
		लिया गया समय			लिया गया समय	
		घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
इस्पात उद्योग के कुछ कच्चे माल और मध्यवर्ती सामानों पर निर्यात शुल्क बढ़ाने और लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने के लिए सांविधिक संकल्प।	04.08.2022	-	-	03.08.2022	-	-

कच्चे पेट्रोलियम और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क निर्धारित करने के लिए वित्त अधिनियम 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन के लिए सांविधिक संकल्प।	04.08.2022	-	-	03.08.2022	-	-
एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन हेतु सांविधिक संकल्प।	21.12.2022	-	-	21.12.2022		
विशेष प्रकार के चावल पर निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने के लिए सांविधिक संकल्प	21.12.2022	-	-	21.12.2022		

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**मद**	**लोक सभा**		**राज्य सभा**		**प्रतिशत**	
		घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	**लोक सभा**	**राज्य सभा**
(i)	विधायी	58	10	44	16	19.95%	18.52%
(ii)	वित्तीय	80	11	52	25	27.51%	21.93%
(iii)	गैर-वित्तीय	153	04	142	17	52.52%	59.54%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	**बैठक का कुल वास्तविक समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय**		**व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत**
	घंटे	**मिनट**	**घंटे**	**मिनट**	
8वां (17वीं लोक सभा)	176	19	01	46	1.00%
9वां (17वीं लोक सभा)	46	24	47	49	50.75%
10वां (17वीं लोक सभा)	68	42	02	11	3.08%
कुल	291	25	51	46	15.08%
राज्य सभा					
256वां	127	33	09	23	6.85%
257वां	40	17	50	52	55.81%
258वां	71	08	01	31	2.08%
कुल	238	58	61	46	20.54%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 5 और राज्य सभा में 2 अल्पावधि चर्चाएं हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या
(वर्ष 1952 से 2022 तक)

वर्ष	**बैठकों की संख्या**		**संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक**	**वर्ष**	**बैठकों की संख्या**		**संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक**
	लोक सभा	**राज्य सभा**			**लोक सभा**	**राज्य सभा**	
1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58

1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	67	65	49
2020	33	33	39	2021	59	58	51
2022	56	56	25				

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 31.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	जलवायु परिवर्तन पर चर्चा (श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	08.12.2021 31.03.2022	09 :	18
2	* भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदम (श्री गौरव गोगोई)	युवा कार्यक्रम और खेल	31.03.2022 03.08.2022 08.12.2022 09.12.2022	08 :	06
3	युक्रेन में स्थिति पर चर्चा (श्री मनीष तिवारी)	विदेश	05.04.2022 06.04.2022	05 :	34
4	मूल्यवृद्धि पर चर्चा (श्री मनीष तिवारी)	वित्त	01.08.2022	06 :	25
5	* देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)	गृह	20.12.2022 21.12.2022	07 :	17

*ध्यानाकर्षण - नियम 193 के तहत अल्पावधि चर्चा में परिवर्तित।

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा (श्री इलामारम करीम, संसद सदस्य)	वित्त	02.08.2022	05 :	38
2.	ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभावों और इससे निपटने के लिए उपचारात्मक कदमों की आवश्यकता पर चर्चा (श्री तिरुची शिवा, संसद सदस्य)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	15.12.2022	02 :	59 चर्चा पूरी नहीं हुई

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट
1.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	14.03.2022 15.03.2022	05 -	16
2.	जनजातीय कार्य	15.03.2022 16.03.2022	04 -	20
3.	रेल	16.03.2022 23.03.2022 24.03.2022	06 -	42

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचारण और पारण हेतु सूचीबद्ध हुए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकें की:-

क्र.सं.	**संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की तारीख**	**प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया**
1	10.01.2022	(i) बजट सत्र, 2022 का बुलाया जाना।
2	07.04.2022	(ii) बजट सत्र, 2022 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (iii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
3	13.06.2022	(i) मानसून सत्र, 2022 का बुलाया जाना।
4	10.08.2022	(i) मानसून सत्र, 2022 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
5	10.11.2022	(i) शीतकालीन सत्र, 2022 का बुलाया जाना।
6	23.12.2022	(ii) शीतकालीन सत्र, 2022 के पश्चात संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। (iii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।

5.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 393 विधेयक (304 विधेयक लोक सभा में और 89 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019	12.07.2019 27.07.2019 22.11.2019 03.12.2021 01.04.2022 05.08.2022	वापस लिया गया

2.	श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 29कक का अंत:स्थापन)	05.08.2022 09.12.2022	अनिर्णीत
राज्य सभा			
1.	डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019	03.12.2021 04.02.2022	वापस लिया गया
2.	श्री राकेश सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या विनियमन विधेयक, 2019	04.02.2022 01.04.2022	वापस लिया गया
3.	डॉ. सस्मित पात्र, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021	01.04.2022	व्यपगत हो गया
4.	प्रो. मनोज कुमार झा, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2021	22.07.2022 05.08.2022 09.12.2022	वापस लिया गया
5.	डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन)	09.12.2022	अनिर्णीत

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री रितेश पांडेय, संसद सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी उपाय।	20.03.2020 12.02.2021 19.03.2021 11.02.2022 16.12.2022	अस्वीकृत
2.	श्री रेड्डप्प एन. गरि, संसद सदस्य द्वारा आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों और भारत के अन्य सभी रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण तथा दक्षिण तटीय रेलवे जोन के परिचालन में तेजी लाने के लिए कदम।	16.12.2022	अनिर्णीत

राज्य सभा			
1.	श्री राकेश सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की तर्ज पर राज्य और जिला स्तर पर अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करना।	25.03.2022	अनिर्णीत
2.	श्री बिप्लब कुमार देब, संसद सदस्य द्वारा अगरवुड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु भारतीय अगरवुड बोर्ड की स्थापना करने के लिए कदम और भारत में अगरवुड क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहायता प्रदान करना।	16.12.2022	अनिर्णीत

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2022 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970

(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रहलाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

अध्याय - 6

आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 380 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 346 आश्वासन निकाले गए।
- लोक सभा में दिए गए 799 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 317 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 6 आश्वासन और राज्य सभा में 86 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी कुछ कार्रवाई करने या अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दे देते हैं। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय, इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या वह एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होने की संभावना होती है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 380 आश्वासन निकाले गए। इनमें से 135 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा एक आश्वासन छोड़ दिया गया, 9 आश्वासनों को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा आश्वासन नहीं माना गया और शेष 235 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 805 आश्वासनों (2022 से संबंधित 135 आश्वासनों सहित) से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (6 आंशिक सहित) को भी सभा पटल पर रखा गया, 140 आश्वासनों (2022 से संबंधित एक आश्वासन सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया और 12 आश्वासनों (2022 से संबंधित 9 आश्वासनों सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा आश्वासन नहीं माना गया। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए 346 आश्वासनों में से, 95 को सभा के पटल पर रखा गया, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा 3 आश्वासनों को छोड़ दिया गया और 56 को आश्वासन नहीं माना गया तथा शेष 192 आश्वासन लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 404 आश्वासनों (2022 से संबंधित 95 आश्वासनों सहित) के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (86 आंशिक सहित), को भी सभा पटल पर रखा गया, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा 36 आश्वासनों (2022 से संबंधित 3 आश्वासनों सहित) को छोड़ दिया गया और 56 आश्वासनों (वर्ष 2022 से संबंधित) को आश्वासन नहीं माना गया। वर्ष 2008 से 2022 के दौरान दिए गए/पूरे किए गए/छोड़े गए/नहीं माने गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष आश्वासनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया - 2	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)	8
2008	1109	1009	97	3	1109	0	100.00
2009	1298	1124	167	1	1292	6	99.54
2010	1602	1508	78	10	1596	6	99.63
2011	1904	1712	135	48	1895	9	99.53
2012	1949	1730	148	59	1937	12	99.38
2013	1108	979	116	0	1095	13	98.83
2014	1461	1298	145	6	1449	12	99.18
2015	1332	1186	93	29	1308	24	98.20
2016	1303	1135	88	43	1266	37	97.16
2017	854	730	58	28	816	38	95.55
2018	693	564	44	42	650	43	93.80
2019	1060	856	72	23	951	109	89.72
2020	375	280	17	22	319	56	85.07
2021	762	491	29	41	561	201	73.62
2022	380	135	1	9	145	235	38.16
	17190	**14737**	**1288**	**364**	**16389**	**803**	**95.34**

राज्य सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया - 3	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)	8
2008	680	564	45	70	679	1	99.85
2009	1018	860	72	85	1017	1	99.90
2010	1082	935	73	62	1070	12	98.89
2011	1003	828	78	91	997	6	99.40
2012	1118	923	149	38	1110	8	99.28
2013	688	586	80	19	685	3	99.56
2014	1190	998	154	19	1171	19	98.40
2015	907	674	92	113	879	28	96.91
2016	991	599	39	303	941	50	94.95
2017	484	305	10	143	458	26	94.63
2018	414	272	13	86	371	43	89.61
2019	410	275	6	76	357	53	87.07
2020	165	113	7	0	120	45	72.73
2021	250	148	2	13	163	87	65.20
2022	346	95	3	56	154	192	44.51
	10746	**8175**	**823**	**1174**	**10172**	**577**	**94.66**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आवधिक समीक्षा की जाती है और आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों को स्मरण कराया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए इस अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 03.02.2022 को अपने सभी सहयोगियों को लंबित आश्वासनों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए स्मरण कराया था। राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 06.07.2022 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसके अलावा, आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को 16.06.2022, 01.08.2022 और 25.10.2022 को तीन अनुस्मारक भी जारी किए गए थे।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 54वां, 55वां, 56वां, 57वां और 58वां प्रतिवेदन दिनांक 15.03.2022 को, 59वां, 60वां और 61वां प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2022 को, 62वां 63वां, 64वां, 65वां, 66वां और 67वां प्रतिवेदन दिनांक 21.07.2022 को, 68वां, 69वां, 70वां, 71वां, 72वां और 73वां प्रतिवेदन दिनांक 05.08.2022 को, 74वां, 75वां, 76वां, 77वां और 78वां प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 76वां प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2022 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2021 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 447 मामले और राज्य सभा में 212 विशेष उल्लेख लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम नियम 377 के अंतर्गत 1206 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 433 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 3913 मामलों में से 3551 मामलों के उत्तर दिए जा चुके है और 362 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 1558 विशेष उल्लेखों में से 1281 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 277 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया है। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले मामलों की कुल संख्या सामान्यत: 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नियम 180ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दोनों सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नियम 377 के अधीन लोक सभा में 1206 मामले उठाए गए जिससे 17वीं लोक सभा के दौरान उठाए गए मामलों की कुल संख्या 3913 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2022 तक 3551 मामलों के उत्तर भेजे जा चुके हैं और 362 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, दिनांक 31.12.2021 को 212 मामले लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विशेष उल्लेख के तहत 433 मामले उठाए गए जिससे लंबित मामलों की कुल संख्या 1558 हो गई। इनमें से दिनांक 31.12.2022 तक 1281 के उत्तर भेजे जा चुके हैं और 277 मामले लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित 'शून्य काल' के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानत: उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्रवाई, जैसी कि अपेक्षित समझी जाए, के लिए भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

(iv) लोक सभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र, 2021 से शून्य काल की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इसलिए मंत्रालय ने उसके बाद से लोक सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों का सार भेजना बंद कर दिया है, सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दों की कुल संख्या वाली सूची ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और ऐसी कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है जो आवश्यक समझी जाए। तथापि, मंत्रालय राज्य सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई हेतु भेज रहा है।

7.6 दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाए गए 1558 मामले (लोक सभा: 1178, राज्य सभा: 380) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 5 मामले (राज्य सभा: 5) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 39 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 73 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा का उद्‌गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्‌वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्‌वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थी।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्‌वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं **(परिशिष्ट-7)**।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्‌देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्‌वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्‌ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) यदि किसी सदस्य को किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि हो तो उसे उस मंत्रालय/विभाग की परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य हैं।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और कोई भी अपेक्षित स्पष्टीकरण देने के लिए बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सत्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 39 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-9** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम जिससे परामर्शदात्री समिति संबद्ध है**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	भारी उद्योग मंत्रालय	15 अप्रैल, 2022 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
2.	इस्पात मंत्रालय	6 मई, 2022 को शिमला, हिमाचल प्रदेश
3.	विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	26 मई, 2022 को टिहरी, उत्तराखंड
4.	गृह मंत्रालय	25 और 26 जून, 2022 को केवडिया, गुजरात
5.	जल शक्ति मंत्रालय	30 जून और 1 जुलाई, 2022 को बंगलौर/मैसूर, कर्नाटक
6.	इस्पात मंत्रालय	1 जुलाई, 2022 को तिरूपति, आंध्र प्रदेश
7.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	16 सितंबर, 2022 को केवडिया, गुजरात
8.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	24 सितंबर, 2022 को पुरी, ओडिशा
9.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	4 नवंबर, 2022 को जैसलमेर, राजस्थान
10.	कोयला मंत्रालय	10 नवंबर, 2022 को इंदौर, मध्य प्रदेश
11.	रक्षा मंत्रालय	2 दिसंबर, 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र

अध्याय-9

संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए नि:संदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, न तो किसी शिष्टमंडल ने विदेश का दौरा किया और न ही कोई शिष्टमंडल भारत आया।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.2 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं।

हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री के साथ घाना के संसदीय शिष्टमंडल की बैठक

9.3 घाना का एक शिष्टमंडल घाना के संसदीय कार्य मंत्री और बहुमत के नेता, महामहिम श्री ओसेई क्येई मेन्साह बोन्सू के नेतृत्व में असम में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति में भाग लेने के लिए 8-11 अप्रैल, 2022 के दौरान भारत के दौरे पर था। घाना के शिष्टमंडल के साथ महामहिम श्री ओसेई क्येई मेन्साह बोन्सू ने इस अवसर का उपयोग घाना के संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भारत की द्विपक्षीय यात्रा करने के लिए किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान, उन्होंने अपने शिष्टमंडल के साथ 14 अप्रैल, 2022 को द्विपक्षीय बैठक हेतु अपने समकक्ष के रूप में माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र और अपनी-अपनी संसद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और पद्धति पर अपने विचार और अनुभव साझा किए। उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के बारे में भी बात की। उनकी भारत यात्रा के दौरान, 20 अप्रैल, 2022 को डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ शिष्टमंडल के साथ आए अधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई ताकि वे भारत में अपनाई जा रही संसदीय प्रथाओं और प्रक्रियाओं को विस्तार से जाना जा सकें।

(श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री 14 अप्रैल, 2022 को घाना के शिष्टमंडल के साथ परस्पर संवाद करते हुए।)

(डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 20 अप्रैल, 2022 को घाना के शिष्टमंडल के अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद करते हुए।)

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 5 संसद सदस्यों (1 सदस्य लोक सभा से और 4 सदस्य राज्य सभा से) ने अपने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.5 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में, जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता है, गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.6 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.7 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में गुजरात और तेलंगाना की सरकारों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय -10

युवा संसद योजना

एक झलक:

- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
  1. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए 7 जुलाई, 2022 को डिजिटल मोड में।
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए 13, 14 और 15 जुलाई, 2022 को डिजिटल मोड में।
  3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए 21 और 22 जुलाई, 2022 को डिजिटल मोड में।
- 1 अगस्त, 2022 को पोर्टल आधारित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दूसरे संस्करण का शुभारंभ। 'राष्ट्रीय युवा संसद योजना' के वेब-पोर्टल की शुरूआत के बाद से 31 दिसंबर, 2022 तक कुल 10,057 संस्थाएं पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर चुकी हैं।
- 30 मई, 2022 से 5 जून, 2022 तक संसद टीवी पर और मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों पर आजादी के अमृत महोत्सव के अनुप्रतीकात्मक सप्ताह के दौरान युवा संसद के वीडियो ट्यूटोरियल (संस्करण 2.0) का प्रसारण।
- आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर युवा संसद की विशेष बैठकें।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 7वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार, दिल्ली के विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को व्यय की प्रतिपूर्ति करने के अलावा युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा, वर्ष 2019 में, युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में विस्तार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद योजना का एक वेब-पोर्टल लॉन्च किया गया था।

1. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.2 इस मंत्रालय ने 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों के लाभ के लिए 7 जुलाई, 2022 को डिजिटल मोड में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया था। आवश्यक संसाधन सामग्री को डिजिटल मोड में साझा किया गया और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 7 जुलाई, 2022 को अभिविन्यास पाठ्यक्रम के अवसर पर उद्घाटन भाषण देते हुए

55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का मूल्यांकन

10.3 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन कार्य अगस्त, 2022 से नवंबर, 2022 के दौरान किया गया। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 35 विद्यालयों और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के 4 विद्यालयों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

दिल्ली के विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के तहत दिनांक 12.10.2022 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एसओएसई, मदनपुर खादर द्वारा आयोजित की युवा संसद की बैठक।

दिल्ली के विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के तहत दिनांक 11.10.2022 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एसओएसई, सेक्टर 22, द्वारका द्वारा आयोजित की युवा संसद की बैठक।

2. <u>केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.4 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 32 संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.5 इस मंत्रालय ने 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों के लाभ के लिए 13, 14 और 15 जुलाई, 2022 डिजिटल मोड में अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए थे। आवश्यक संसाधन सामग्री को डिजिटल मोड में साझा किया गया और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का मूल्यांकन

10.6 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 150 केन्द्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रतियोगिताएं पहले क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेने वाले अपने-अपने क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गईं। तत्पश्चात, 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गईं:

क्र.सं.	**तारीखें**	**मेजबान क्षेत्र**	**मेजबान केंद्रीय विद्यालय (के.वि.)**	**अंचल**	**प्रतिभागी क्षेत्र**
1	3.11.2022 और 4.11.2022	वाराणसी	के.वि., पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली, उत्तर प्रदेश।	केंद्रीय	वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर
2	10.11.2022 और 11.11.2022	मुंबई	के.वि.नं.2, कोलाबा, मुंबई, महाराष्ट्र	पश्चिम	अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, आगरा, रांची
3.	17.11.2022 और 18.11.2022	हैदराबाद	के.वि., पिकेट, सिकंदराबाद, तेलंगाना	दक्षिण	हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, एरणाकूलम, जबलपुर
4	22.11.2022 और 23.11.2022	चंडीगढ़	के.वि. 3 बीआरडी, चंडीगढ़	उत्तर	चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, जम्मू
5	29.11.2022 और 30.11.2022	भुवनेश्वर	के.वि. नं.2, भुवनेश्वर, ओडीशा	पूर्व	तिनसुकिया, कोलकाता, गुवाहाटी, सिल्चर, भुवनेश्वर

केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की पहली आंचलिक स्तर की प्रतियोगिता केंद्रीय विद्यालय, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश में 3-4 नवंबर 2022 को आयोजित की गई थी।

केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 की आंचलिक स्तर की प्रतियोगिता (पश्चिमी अंचल) 10 और 11 नवंबर, 2022 को केंद्रीय विद्यालय नं.2, कोलाबा, मुंबई में आयोजित की गई।

33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 की आंचलिक स्तर की प्रतियोगिता (पश्चिमी अंचल) के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय नं.1, कोटा (जयपुर क्षेत्र) अपनी युवा संसद की बैठक प्रस्तुत करते हुए।

केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 की आंचलिक स्तर की प्रतियोगिता (उत्तरी अंचल) 22 और 23 नवंबर, 2022 को केंद्रीय विद्यालय, 3बीआरडी, चंडीगढ़ में आयोजित की गई।

3. <u>जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.7 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक प्रतियोगिता के 23 संस्करण संपन्न हो चुके हैं।

24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.8 इस मंत्रालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों के लाभ के लिए 21 और 22 जुलाई, 2022 को डिजिटल मोड में अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए थे। आवश्यक संसाधन सामग्री को डिजिटल मोड में साझा किया गया और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का मूल्यांकन

10.9 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 80 जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिताएं पहले क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेने वाले अपने-अपने क्षेत्र के जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गईं। तत्पश्चात, 8 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच 2 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गईं:

क्र.सं.	स्थान	प्रतिभागीय जवाहर नवोदय विद्यालयों के नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	प्रस्तावित तारीख
1	नाडिया, पश्चिम बंगाल	1. नाडिया, पश्चिम बंगाल	पटना	21 से 22 दिसंबर, 2022
		2. कथूरा, जम्मू और कश्मीर	चंडीगढ़	
		3. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	लखनऊ	
		4. ईस्ट खासी हिल्स-1, मेघालय	शिलांग	
2	चंद्रापुर, महाराष्ट्र	1. चंद्रापुर, महाराष्ट्र	पुणे	28 से 29 दिसंबर, 2022
		2. पुरी, ओडीशा	भोपाल	
		3. कुरूक्षेत्र, हरियाणा	जयपुर	
		4. मंडिया, कर्नाटक	हैदराबाद	

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 की जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रापुर, महाराष्ट्र में 28 और 29 दिसंबर, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।

4. <u>विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.10 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में 15 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। प्रतियोगिता का 16वां संस्करण प्रगति पर है।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की समूह स्तरीय प्रतियोगिता

10.11 प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 38 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के बीच आयोजित की गई। इन 38 संस्थाओं को 6 समूहों में बांटा गया था।

हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) ने अनुप्रतीकात्मक सप्ताह के दौरान 30 मई, 2022 को विश्वविद्यालयों / कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के तहत युवा संसद की बैठक का आयोजन किया।

5. <u>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.12 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जाती है।

10.13 हरियाणा राज्य में युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 आयोजित करने के लिए एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा के शिक्षकों/अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए गुरूग्राम, हरियाणा में 5 अगस्त, 2022 को युवा संसद के संचालन की रूपरेखा पर व्याख्यान दिया गया।

10.14 मध्य प्रदेश राज्य में युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों/शिक्षकों/अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजिटल मोड में 18 अक्तूबर, 2022 को युवा संसद के संचालन की रूपरेखा पर व्याख्यान दिया गया।

6. <u>"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल</u>

10.15 राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को किया गया था। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

10.16 पहले संस्करण के लिए पंजीकरण बंद कर दिए जाने के बाद, इस मंत्रालय ने 1 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया था।

10.17 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, युवा संसद कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल पर 1998 संस्थाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पोर्टल पर दूसरे संस्करण के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, युवा संसद की बैठकें आयोजित करने (वर्चुअल मोड/फिजिकल मोड) तथा पोर्टल पर रिपोर्ट, वीडियो, फोटो आदि अपलोड करने के लिए अंतिम तारीख अब 31 मई, 2023 है।

राष्ट्रीय युवा संसद योजना का डैशबोर्ड

7. <u>आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम</u>

10.18 आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अनुप्रतीकात्मक सप्ताह के दौरान, युवा संसद का वीडियो-ट्यूटोरियल (संस्करण 2.0) संसद टीवी पर 30 मई, 2022 (प्रीमियर), 2 जून, 2022 (रिपीट टेलीकास्ट-1) और 5 जून, 2022 (रिपीट टेलीकास्ट-2) को प्रसारित किया गया था। इसके अलावा, मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि 31 मई, 2022 का दिन युवा संसद के वीडियो-ट्यूटोरियल को देखने के लिए समर्पित करें और वीडियो का व्यापक प्रचार भी करें।

संसद टीवी पर युवा संसद के वीडियो-ट्यूटोरियल (संस्करण 2.0) का प्रसारण

10.19 केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया था कि जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक हर महीने

आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित युवा संसद की फिजिकल या वर्चुअल मोड में विशेष बैठकों के आयोजन के लिए 1 विद्यालय को नामित किया जाए। तदनुसार, दिसंबर, 2022 तक, कुल 20 विद्यालयों ने युवा संसद की उपरोक्त विशेष बैठकों का आयोजन किया है।

केंद्रीय विद्यालय नं.1, साल्ट लेक, सेक्टर -3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आयोजित विशेष बैठक

जवाहर नवोदय विद्यालय, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आयोजित विशेष बैठक

अध्याय-11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिंदी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, कार्यान्वयन समिति की चार आभासी बैठकें दिनांक 10.03.2022, 23.06.2022, 09.09.2022 और 29.11.2022 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिंदी सलाहकार समिति

11.5 हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, समिति की एक आभासी बैठक दिनांक 07.04.2022 को आयोजित की गई।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान चार अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

11.7 मंत्रालय में 14 से 29 सितंबर, 2022 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान, माननीय संसदीय कार्य एवं कोयला और खान मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी) द्वारा मंत्रालय के

अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए अपील जारी की गई। पखवाड़े के दौरान, निम्नलिखित सात प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गईं:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिंदी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता;
4. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता;
5. हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिता;
6. हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता; और
7. हिंदी अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता।

11.8 हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 29 सितंबर, 2022 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 32 अधिकारियों/कर्मचारियों **(परिशिष्ट 10)** को पुरस्कार प्रदान किए गए।

श्री गुडे श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए।

11.9 संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों के तृतीय पुरस्कार के लिए चुना गया। हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2022 को अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, श्री भर्तृहरि महताब से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2022 को संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष, श्री भर्तृहरि महताब से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

11.10 अनुसंधान प्रकोष्ठ और नेवा प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	आश्वासन अनुभाग (लोक सभा)	100%
3.	आश्वासन अनुभाग (राज्य सभा)	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-।। अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-। अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिंदी कार्यशाला

11.11 मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 21 से 25 मार्च 2022, 22 से 26 अगस्त 2022 और 21 से 25 नवंबर 2022 के दौरान मंत्रालय में तीन हिंदी कार्यशालाएं कार्यशाला संचालित की गईं। इन कार्यशालाओं में कुल 24 कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया। 8वें "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" के अवसर पर 15 जून, 2022 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक योग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में योग गुरु डॉ. सुरक्षित गोस्वामी ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आत्मिक स्वच्छता के विषय पर योग प्रशिक्षण दिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 (31 अक्टूबर से 06 नवंबर 2022 तक) के दौरान, 3 नवंबर, 2022 को “सरकार में भ्रष्टाचार निवारण के उपाय और केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका” विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

अध्याय - 12

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

एक झलक

1. प्रस्तावना
2. ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र
3. वर्ष 2022 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम
4. नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें
5. नेवा पर गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां
6. राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां
7. नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति
8. नेवा सारांश

12.1 प्रस्तावना

- ई-विधान डिजिटल इंडिया प्रोग्राम (डीआईपी) के तहत राज्य श्रेणी के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ई-विधान एमएमपी के लिए नोडल विभाग है। ई-विधान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी विधायी सदनों में लागू किया जाना है।
- "ई-विधान - राज्य विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना" सदन के पटल पर सभी कागज-पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान करके, मानक राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के डिजाइन विकास और कार्यान्वयन, राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए ई-कनेक्टीविटी, नेवा के परिनियोजन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क/नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NICNET/NKN) कनेक्टीविटी के माध्यम से राज्यों के विधानमंडलों को कम कागज उपयोगकर्ता बनाते हुए कम्प्यूटरीकरण के संभावित क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करता है।
- ई-विधान एमएमपी का उद्देश्य सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह, सदन के पटल पर दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना और सभी हितधारकों के बीच सूचना का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान करना है और इस प्रकार देश में कम कागजी विधानमंडलों का निर्माण करना है। यह डेटा विश्लेषण, सूचना प्रसंस्करण और सभी राज्य विधानमंडलों के डेटा का विश्लेषण भी उपलब्ध कराएगा। अपने प्रमुख हितधारकों यानी राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान ई-विधान एमएमपी के प्रमुख मिशनों में से एक है।
- मानकीकृत जेनेरिक नेवा विकसित किया गया है जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी / राज्य भाषा) होगा और नेशनल क्लाउड-मेघराज पर मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में चलेगा। एप्लिकेशन को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनके जोखिम और लागत पर अनुकूलित किया जा सकता है।
- सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्थान पर नोडल अधिकारी के अधीन एक नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) स्थापित किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों और विधान सभा/परिषद सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए

कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रत्येक स्थान पर नेवा सेवा केंद्र (एनएसकेक) को ई-लर्निंग केंद्र के रूप में बनाने का प्रस्ताव है।

मिशन और परियोजना उद्देश्य-

नेवा का मिशन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कम कागजी विधानमंडल बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सामग्री को अस्तित्व में आते ही सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को विधायी बहसों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए खुद को तैयार करने के लिए नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने में भी सहायता करना है।

नेवा परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल सचिवालयों की सभी शाखाओं का बैकएंड कंप्यूटरीकरण ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना/डेटा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह और वितरण सुनिश्चित किया जा सके और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ परस्पर संवाद किया जा सके।
- चिन्हित सेवाओं और उनकी प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) शुरू करके बेहतर सेवा स्तरों के साथ सेवाओं का कुशल परिदान।
- राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानसभा सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल के नेवा केंद्र में क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।
- सदस्यों की सहायता के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में नेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना।
- सभी हितधारकों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टल और डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का वितरण।
- डिजिटल विधानमंडल: सदन में टच स्क्रीन/टैबलेट उपकरणों की स्थापना।
- राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को एक टैबलेट डिवाइस प्रदान करना (यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से प्रदान/प्रावधान नहीं किया गया है)।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना। और प्रत्येक राज्य विधानमंडल में राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना।
- नेवा के ई-बुक मॉड्यूल के माध्यम से सदन के पटल पर सभी रिपोर्ट/दस्तावेजों और कागजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने जैसी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए विधानमंडल के सदन (सदनों) में आवश्यक हार्डवेयर/एक्सेस डिवाइस तैनात करना।
- विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी एप्लिकेशंस को उपयोगकर्ता के अनुकूल और उपकरण तटस्थ बनाना।
- सभी राज्य विधानमंडलों के लिए मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल (द्विभाषी) बनाना तथा सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी/डेटा तक तत्काल पहुंचने के लिए उपयोग में आसान मोबाइल ऐप विकसित करना।
- अंत में, नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल विधानमंडलों के लक्ष्य को प्राप्त करना।

लोक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदन और नेवा की अधिसूचना

योजना की अधिसूचना, दिशा-निर्देश और समझौता ज्ञापन जारी किया जा चुका है और ये नेवा की वेबसाइट (https://www.neva.gov.in) के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mpa.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

ई-विधान को शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर सर्वोच्च समिति द्वारा सशक्त किए गए रूप में, भारत सरकार ने सभी विधायी सदनों के कार्यचालन को कागज रहित बनाने के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)," डिजिटल विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में एक नई केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और नेवा परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि राज्य विधानमंडलों को खुद को "डिजिटल सदन" में परिवर्तित करने में मदद मिल सके और वे राज्य सरकार के विभागों के साथ कागज रहित रूप में सूचना के आदान-प्रदान सहित समस्त सरकारी कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर निष्पादित कर सकें। योजना के तहत सहायता परियोजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों, नियमों और शर्तों द्वारा शासित की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत: 673.94 करोड़ रुपये (केंद्र की हिस्सेदारी 423.60 करोड़ रुपये और राज्यों की हिस्सेदारी 250.34 करोड़ रुपये, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संरचना की तर्ज पर 60:40 के अनुपात में है)। केंद्र की हिस्सेदारी में सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित व्यय के लिए 108.29 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

12.2 ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है जो सदन के कागज रहित कामकाज और सूचनाओं के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए प्रासंगिक हैं। नेवा परियोजना के तहत निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं-

डिजिटल सदन

नेवा डिजिटल सदन, नेवा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) का एक हिस्सा है और इसे राज्य विधानमंडल की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल (कागज रहित) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेवा ई-बुक को विज़ुअल स्टूडियो 2017 और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर एमवीसी आर्कीटेक्चर, सिग्नल-आर कोर, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, जेसन, बूटस्ट्रैप इत्यादि में asp.net कोर 2.2 (माइक्रोसॉफ्ट की एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी) के माध्यम से विकसित किया गया है।
परियोजना "***नेवा डिजिटल सदन***" एक एप्लिकेशन सूट है, जिसमें प्रमुख मॉड्यूल निम्न प्रकार हैं:

डिजिटल सदन	ई-बुक
	कार्य नियंत्रक
	डिजिटल डिस्प्ले
	ई-मतदान

ई-उपस्थिति
सदन उत्पादकता रिपोर्ट
टॉक टाइम प्रबंधन
अध्यक्ष पैड
मंत्री पैड

डिजिटल सदन मॉड्यूल द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाते हैं:-

- डिजिटल ई-बुक का उपयोग करते हुए सभी कागज-पत्रों का डिजिटल रूप में सभापटल पर रखा जाना।
- इलेक्ट्रॉनिक पैड का उपयोग करते हुए अध्यक्ष (सभापति) और सचिव के बीच संचार।
- सदन की कार्यवाहियों के दौरान टिप्पणियों के आदान-प्रदान के लिए मंत्री और प्रशासनिक सचिवों के बीच संचार।
- कार्यसूची की किसी मद पर ई-मतदान।
- सदस्यों की ई-उपस्थिति।
- कार्य नियंत्रक मॉड्यूल।
- कार्यसूची की मदों की डिजिटल डिस्प्ले प्रणाली।
- अध्यक्ष का टॉक-टाइम प्रबंधन।

मास्टर डाटा

यह मॉड्यूल विशेष तौर पर एडमिन और सुपर एडमिन की भूमिका से संबंधित है और विस्तार से इनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। इसमें कार्यप्रवाह आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एप्लिकेशन में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित संपूर्ण मास्टर डाटा की प्रविष्टि के साथ उपयोगकर्ता का संपूर्ण कामकाज शामिल है।

प्रयोगकर्ता प्रबंधन

यह मॉड्यूल कदम दर कदम प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसके माध्यम से एक भावी उपयोगकर्ता एकीकृत और बहु-हितधारक नेवा प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए खुद को नेवा प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले नेवा प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए। इसमें उपयोगकर्ता को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है। इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम यूजर आईडी (नेवा आईडी) और पासवर्ड के साथ उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत/विशिष्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स के सृजन के रूप में सामने आता है। संक्षेप में यह निम्नलिखित उपलब्ध कराता है:-

सुपर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए:

- ❖ विभिन्न उपयोगकर्ता प्रकारों/उप-प्रकारों का सृजन;
- ❖ कार्यात्मक मॉड्यूल / उप-मॉड्यूल का सृजन;
- ❖ सदस्यों, सचिवों आदि जैसे सभी उच्च स्तरीय उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन का अनुमोदन;
- ❖ भूमिकाओं का सृजन और उपयोगकर्ताओं के लिए भूमिकाओं का आबंटन।

स्वयं सेवा के लिए:

- ❖ सदस्य/अधिकारी उपयोगकर्ता आधार सृजित करने के लिए इसे आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं;
- ❖ उपयोगकर्ता उच्च अधिकारियों द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के लिए अनुरोध कर सकते हैं;
- ❖ प्रमाणीकरण के बाद यूजर नेम और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ई-मेल पर भेजा जाएगा;
- ❖ प्रत्येक उपयोगकर्ता की भूमिका के लिए विशिष्ट डैशबोर्ड;

विभाग लॉगिन रिप्लाई

यह मॉड्यूल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिका से संबंधित है। नेवा सरकारी विभागों को प्रश्न/नोटिस आदि के ऑनलाइन उत्तर देने की सुविधा प्रदान करता है और ऐसे सभी विभागों को विधानमंडलों के साथ परस्पर संवाद के संदर्भ में उन्हें कार्यचालन के एक साझा मंच पर लाकर उनके कामकाज को कागज-रहित बनाता है। नेवा विधेयकों, कागज-पत्रों आदि को सभा पटल पर डिजिटल रूप में रखने में सरकारी विभागों को सक्षम बनाता है। यह खंड उपयोगकर्ता विभाग की भूमिका के बारे में बताता है जिसमें उनके विधानमंडल में उठाए गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर का प्रारूपण शामिल है। इसमें नोटिसों के जवाब भेजना भी शामिल है। नेवा का यह मॉड्यूल विभागों को सभी उत्तर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाता है।

मोबाइल एप्लिकेशन

यह भारत के किसी भी राज्य के विधानमंडल संबंधी सूचनाओं तक पहुँचने के लिए एकल मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप एन्ड्रॉएड के साथ-साथ आईओएस मोबाइल उपकरणों के लिए उपलब्ध है। मोबाइल ऐप को मोबाइल फोन के साथ ही टैबलेट उपकरणों में भी स्थापित किया जा सकता है। सभी राज्यों के विधानमंडलों के माननीय सदस्य अपने-अपने राज्य विधानमंडल को सभी प्रकार के विधायी नोटिस/प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए एक ही ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह अपने प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है:-

- ❖ सत्र का कैलेंडर;
- ❖ कार्यसूची;
- ❖ सभापटल पर कागज-पत्र रखना;
- ❖ समाचार भाग-I और समाचार भाग-II;

- ❖ वाद-विवाद का सारांश;
- ❖ शब्दशः कार्यवाही;
- ❖ प्रश्न सूची और प्रश्न/उत्तर खोज;
- ❖ सरकारी आश्वासन खोज;
- ❖ सदस्य खोज;
- ❖ विधेयक खोज;
- ❖ राज्य विधानमंडल सचिवालय का संपर्क विवरण।

नेवा मोबाइल एप्लिकेशन इंटरफेस

विधेयक प्रबंधन प्रणाली

इस मॉड्यूल को "विधेयक प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल" नाम दिया गया है। एक विधेयक किसी विधानमंडल के विचाराधीन एक प्रस्तावित विधान होता है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक कि उसे विधानमंडल द्वारा पारित न कर दिया जाए और ज्यादातर मामलों में कार्यपालिका द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। यह मॉड्यूल नेवा प्लेटफॉर्म के संभावित उपयोगकर्ताओं को उस प्रक्रिया के बारे में प्रथम सूचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से एक हितधारक/उपयोगकर्ता अपने आपको नेवा प्लेटफॉर्म पर विधेयक प्रबंधन के विभिन्न चरणों में संलग्न रख सकता है, अर्थात जिन चरणों के माध्यम से एक "संभावित विधेयक" आखिरकार "अधिनियम" बनता है। विधेयक प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों/उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएं, कर्तव्य, शक्तियां, कार्य आदि भिन्न-भिन्न होते हैं जो निम्न प्रकार हैं:

सरकारी विभाग:

- ❖ पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक को अपलोड करना।
- ❖ सहमति दे दिए जाने तक विधेयक के सभी उत्तरवर्ती रूपांतरों को अपलोड करना।
- ❖ विधेयक की जांच और सुधार तथा आशोधन।

विधायी शाखा:

- ❖ विधेयकों का डाटाबेस रखना।
- ❖ विधेयक के आगे बढ़ने की विभिन्न तारीखों को अद्यतित करना।
- ❖ संसद की अनुमति की आवश्यकता होने पर केंद्र को विधेयक भेजना।
- ❖ सदन की इच्छानुसार विभिन्न समितियों को विधेयक भेजना।

समिति शाखा:

- ❖ विधेयकों पर जनता की राय/सुझाव मांगना।
- ❖ जनमत/सुझावों की जांच।
- ❖ समिति के विचार-विमर्श के लिए जनमत/सुझावों को सारांश के रूप में प्रस्तुत करना।
- ❖ समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के अनुसार विधेयक पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देना।

नागरिक:

- ❖ विधेयकों पर राय/सुझाव ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- ❖ राज्य विधानमंडलों के सदस्य:
- ❖ विधेयक दस्तावेज में जांच और संशोधन का सुझाव देना।

कार्यसूची

यह दस्तावेज़ कार्यसूची के निर्माण से संबंधित है, जो सत्र के किसी दिन विशेष की कार्यसूची होती है। कार्यसूची निर्माण के लिए उपयोगकर्ता डैशबोर्ड (एलओबी सीएमएस) में लॉगिन करता है और कार्यसूची तैयार करता है जिसमें वे सभी महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं जो किसी विशेष दिन पर सदन में होने होते हैं। तैयार की गई कार्यसूची को अंतिम अनुमोदन के लिए विधानसभा सचिव को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद इसे सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस कार्यसूची का सत्र की एक विशेष तारीख के लिए सदन के कामकाज में शामिल सदस्यों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्रकाशित कार्यसूची को बिजनेस टैब के तहत देखा जा सकता है जहां सत्र और संबंधित तिथियों का चयन किया जा सकता है, इस प्रकार संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यसूची को सूचीबद्ध किया जाता है।

समिति प्रबंधन प्रणाली

यह एप्लिकेशन केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार की विधायी शाखा के कामकाज को सरल बनाती है। समिति प्रणाली विधान का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन समितियों के निम्नलिखित कामकाज के लिए डिजिटल प्रणाली उपलब्ध कराती है:

- ❖ समितियों का गठन;
- ❖ उप-समितियों का गठन;
- ❖ ई-फाइलों का सृजन;
- ❖ बैठकों का कार्यक्रम;
- ❖ यात्रा/यात्रा कार्यक्रम;

- ❖ समितियों की सदस्यता का रखरखाव;
- ❖ समिति की रिपोर्ट तैयार करना;
- ❖ संबंधित सरकारी विभागों के साथ पत्राचार;
- ❖ विभागों द्वारा भेजे गए उत्तरों की जांच;
- ❖ सरकारी विभागों को अनुस्मारक;
- ❖ एसएमएस/ई-मेल एकीकरण;
- ❖ सदन के पटल पर रिपोर्ट रखना;
- ❖ अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को सुगम बनाना;
- ❖ किसी विशेष विषय पर जनता की राय लेना;
- ❖ सामग्री की जांच और संसाधन;
- ❖ मौखिक परीक्षा के लिए प्रश्नावली तैयार करना;
- ❖ विभिन्न बैठकों की शब्दशः रिपोर्ट रखना;
- ❖ सभी संबंधित जानकारी/डेटा सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करना।

प्रश्न संसाधन

प्रश्न संसाधन मॉड्यूल में निम्नलिखित की व्यवस्था है:-

- ❖ सदस्यों द्वारा प्रश्न/सूचनाओं की ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रविष्टि।
- ❖ प्रश्नों की डायरी।
- ❖ प्रश्न पाठ की टाइपिंग।
- ❖ राज्य सरकार के संबंधित विभाग को अनंतिम प्रश्न भेजना।
- ❖ प्रश्नों की स्वीकार्यता।
- ❖ प्रश्नों की क्लबिंग।
- ❖ सदस्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं का मतदान।
- ❖ तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए अंतिम प्रश्न सूची तैयार करना।
- ❖ प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक पोर्टल पर प्रश्न और उनके उत्तर प्रकाशित करना।

यह खंड विधानमंडल स्तर पर नोटिस/प्रश्न संसाधन में शामिल विभागों के कामकाज का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें एक नया प्रश्न/नोटिस प्रविष्ट करना, उस प्रश्न के लिए टंकक निर्दिष्ट करना, प्रश्न के आगे विवरण की प्रविष्टि करना, प्रूफ़ रीडिंग के लिए भेजना, सचिव अनुमोदन और संबंधित प्रश्न का पीडीएफ जेनरेट करने के लिए अनुवादक शामिल हैं। ये सभी विभाग इस साझा सीएमएस नेवा एप्लिकेशन के तहत काम करते हैं, जो सदन में उठाए गए प्रश्न तक बाधा रहित पहुँच प्रदान करते हैं।

पब्लिक पोर्टल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का वितरण नेवा परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में से

एक है। यह सेवा प्रत्येक विधायिका के लिए डिज़ाइन किए गए सार्वजनिक पोर्टल की सहायता से प्रदान की जाती है।

हरियाणा विधानसभा के लिए नेवा पब्लिक पोर्टल

सदस्य मॉड्यूल

नेवा एप्लिकेशन का सदस्य मॉड्यूल माननीय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को डिजिटल बनाता है। यह निम्नलिखित की व्यवस्था करता है:

- ❖ सभी प्रकार की सूचनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- ❖ पूछे जाने वाले पूरक प्रश्न तैयार करने के लिए प्रश्नकाल से एक घंटे पहले तारांकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना।
- ❖ विभिन्न समिति रिपोर्ट का अवलोकन करना।
- ❖ विभिन्न समिति बैठकों की समय-सारणी और उनकी कार्यसूची का अवलोकन करना।
- ❖ राज्य विधानमंडल विभाग के साथ संवाद करना।
- ❖ लोगों के विभिन्न समूहों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए सामूहिक एसएमएस/सामूहिक ई-मेल का उपयोग करना।
- ❖ फोटोग्राफ के साथ सदस्य के प्रोफाइल को प्रस्तुत करना और अद्यतन करना।

रिपोर्टर्स मॉड्यूल

रिपोर्टर्स मॉड्यूल सदन की कार्यवाहियों के शब्दश: रिकार्ड तैयार करने के लिए एक कार्य प्रवाह आधारित वेब एप्लिकेशन है। किसी भी अनुसूचित भाषा में शब्दशः रिकार्ड तैयार करना संभव है। रिपोर्टर्स मॉड्यूल निम्नलिखित कार्यशीलता प्रदान करता है:

- ❖ प्रमुख द्वारा रिपोर्टरों को टाइम स्लॉट (पारी) सौंपना।

- ❖ पारी-वार फाइलें तैयार करना
- ❖ पारियों का विलय
- ❖ प्रमुख रिपोर्टर को पारी सौंपना
- ❖ प्रमुख रिपोर्टर द्वारा पारियों का पुनरीक्षण
- ❖ सभी पारियों का विलय
- ❖ सार्वजनिक पोर्टल पर हर घंटे शब्दश: कार्यवाही का प्रकाशन
- ❖ सार्वजनिक पोर्टल पर दिनों की कार्यवाहियों का प्रकाशन।

डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल

नेवा का डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल इसके लाभार्थियों को राज्य विधानमंडलों की स्थापना के बाद से सभी आधिकारिक बहसों, समिति की रिपोर्टों, अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों, विधेयकों आदि को ऑनलाइन खोजने के लिए सक्षम बनाता है। यह प्रावधान विधायिका के सभी पुराने डेटा को डिजिटल कर देगा और बाद में कागजों पर निर्भरता कम करेगा।

सरकारी आश्वासन मॉड्यूल

यह मॉड्यूल विधानसभा की आश्वासन शाखा को निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम बनाता है-

- ❖ शब्दशः अभिलेखों से आश्वासनों को निकालना।
- ❖ निकाले गए आश्वासनों के लिए डेटाबेस का निर्माण।
- ❖ संबंधित सरकारी विभागों को ऑनलाइन सूचना।
- ❖ एसएमएस/ई-मेल का एकीकरण।
- ❖ समिति के विचारार्थ आश्वासन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
- ❖ सरकारी विभागों को अनुस्मारक भेजना।
- ❖ दिए गए समय के विस्तार के संबंध में ऑनलाइन जानकारी।
- ❖ सदन में आश्वासन पूर्ति रिपोर्ट रखना। सरकारी विभाग।
- ❖ किसी विशेष विभाग से संबंधित आश्वासन डेटाबेस तक ऑनलाइन पहुंच।

12.3 वर्ष 2022 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम और नेवा सेवा केंद्र (NSK), ई-लर्निंग सह ई-सुविधा केंद्र की स्थापना करके सदस्यों की सहायता करना केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) के मुख्य कार्य रहे हैं। सीपीएमयू द्वारा ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण और मदद, विधायी सत्रों के दौरान लाइव सहायता और सीपीएमयू, दिल्ली में अधिकारियों को आमंत्रित करके ये सेवाएं अपने हितधारकों को प्रदान की गई हैं। कुछ प्रमुख संबंधित कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं-

1. हरियाणा विधानसभा के लिए सीपीएमयू, नेवा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन हरियाणा विधानसभा के विभिन्न अधिकारियों

को नेवा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया था ताकि वे नेवा सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल का उपयोग करने में सक्षम बन सकें। उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया था।

6-7 जनवरी, 2022

2. ई-गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन (भारत का प्रौद्योगिकी दशक: महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल शासन) हैदराबाद में आयोजित किया गया था। सीपीएमयू, नेवा टीम के दो अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और दर्शकों के समक्ष नेवा प्लेटफ़ॉर्म का प्रदर्शन किया। **9-10 जनवरी 2022**
3. मिजोरम विधानसभा हेतु नेवा परियोजना को मंजूरी देने के लिए डिजिटल विधानमंडल हेतु राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की अधिकार प्राप्त समिति की 7वीं वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष (सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय) ने मिजोरम विधानसभा के लिए ₹8,70,84,750/- की नेवा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी। **24 जनवरी, 2022**
4. सीपीएमयू ने हरियाणा विधानसभा के माननीय सदस्यों और इसके सचिवालय के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया। माननीय अध्यक्ष, श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस यात्रा के दौरान सभी प्रतिभागियों को नेवा के सभी मॉड्यूल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। **9-10 फरवरी, 2022**

हरियाणा विधानसभा में नेवा का उद्घाटन

5. त्रिपुरा विधानसभा के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नेवा की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ विभिन्न मॉड्यूल जैसे कार्यसूची, डिजिटल सदन ई-बुक, कार्य नियंत्रक, सभापटल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में कागज-पत्र रखने, प्रश्न संसाधन मॉड्यूल आदि का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में सीपीएमयू, नेवा टीम ने त्रिपुरा विधान सभा के लगभग 60 अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया। **15-16 फरवरी 2022**

त्रिपुरा विधानसभा के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण

6. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की 8वीं बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा और परिषद के लिए स्वीकृत परियोजना लागत क्रमशः ₹17,81,31,300 और ₹8,91,52,800 थी।

14 मार्च, 2022

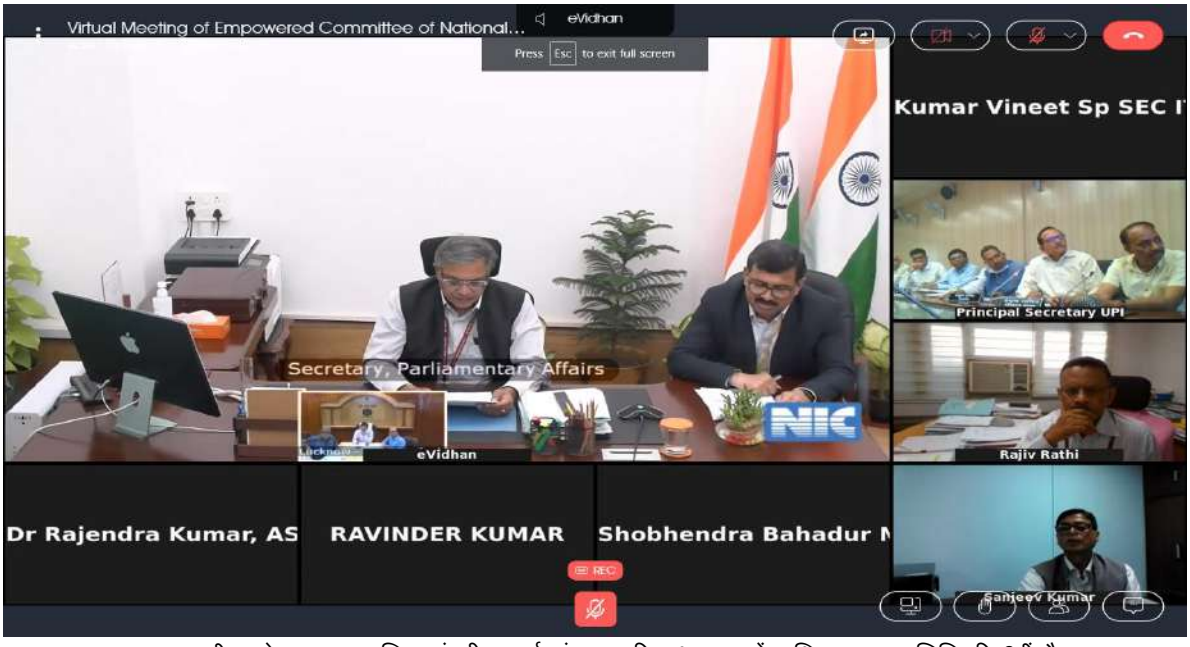

श्री ज्ञानेश कुमार, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकारप्राप्त समिति की 8वीं बैठक।

7. सिक्किम विधानसभा के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला सह ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के दौरान नेवा के विभिन्न मॉड्यूलों के प्रदर्शन के बाद सीपीएमयू टीम द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। **21-22 अप्रैल, 2022**

8. हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मांग किए जाने पर नेवा के विभिन्न मॉड्यूल पर विधानसभा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। **20 और 25 अप्रैल 2022**

9. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रशिक्षण कार्यशाला: विधानमंडल/एनआईसी/अन्य विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को नेवा के विभिन्न मॉड्यूलों से परिचित कराने के लिए सीपीएमयू, नेवा के तीन अधिकारियों की एक टीम को 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश परिषद का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। कार्यशाला में नेवा के मॉड्यूल के बारे में परिषद के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान करना भी शामिल था।

9-11 मई, 2022

10. सिक्किम विधानसभा के लिए सीपीएमयू, नेवा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। सिक्किम विधानसभा के विभिन्न अधिकारियों को नेवा सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए नेवा सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। **17-20 मई, 2022**

सिक्किम विधानसभा के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम।

11. उत्तर प्रदेश विधानसभा को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, नेवा की एक संसाधन टीम को 19 से 27 मई, 2022 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि उनको नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करके विधानसभा का बजट सत्र को चलाने में सक्षम बनाया जा सके। टीम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्यों को सदन के अंदर उनकी सीटों पर स्थापित टैबलेट उपकरणों पर नेवा ई-बुक के उपयोग और नेवा का उपयोग करते हुए सदन के भीतर कार्य निष्पादन के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया था। **19-27 मई, 2022**

12. गुजरात विधानसभा के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकारियों के समक्ष नेवा के विभिन्न मॉड्यूल का प्रदर्शन किया गया और सीपीएमयू द्वारा उनके प्रश्नों का समाधान किया गया। **2-3 जून, 2022**
13. मेघालय विधानसभा ने सीपीएमयू, संसदीय सौध, दिल्ली में आयोजित दूसरे चरण के प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू), दिल्ली में कुछ अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया था। इस यात्रा के दौरान, अधिकारियों को नेवा के सभी मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण दिया गया और इन मॉड्यूल्स का प्रत्यक्ष अभ्यास कराया गया। **15-17 जून, 2022**
14. डिजिटल विधानमंडल हेतु राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की अधिकार प्राप्त समिति की 9वीं आभासी बैठक गुजरात विधानसभा हेतु नेवा परियोजना को मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई थी। अध्यक्ष (सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय) ने ₹13,06,13,200/- की परियोजना राशि को मंजूरी दी, जो उनकी पूरक मांग किए जाने और नियमों के अनुसार विचार किए जाने के अधीन है। **24 जून, 2022**
15. डिजिटल विधानमंडल हेतु राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की अधिकार प्राप्त समिति की 10वीं आभासी बैठक झारखंड विधानसभा हेतु नेवा परियोजना को मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई। अध्यक्ष (सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय) ने झारखंड विधानसभा के लिए ₹8,02,48,250/- की परियोजना राशि को मंजूरी दी। **29 जून, 2022**
16. संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने श्री तिरुचि शिवा (माननीय सांसद) की अध्यक्षता में राज्य सभा की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति के साथ अध्ययन दौरा किया। समिति ने तमिलनाडु विधानसभा, तेलंगाना विधानसभा और गोवा विधानसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित पहलुओं और उच्चारण से पाठ और पाठ से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मशीनी अनुवाद तथा व्याख्या में उसके उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेवा के तहत सुविधाओं पर चर्चा की। **1-5 जुलाई, 2022**
17. ओडिशा विधानसभा की विभिन्न शंकाओं को हल करने के लिए सीपीएमयू द्वारा एक आभासी बैठक आयोजित की गई और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। **21 जून, 2022**
18. नेवा प्लेटफार्म में गुजरात विधानसभा की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) द्वारा गुजरात विधानसभा के लिए एक दिवसीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम आयोजित किया गया। **14 जुलाई, 2022**
19. हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन की दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा और श्री ज्ञान चंद गुप्ता, माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा द्वारा किया गया था। **21-22 जुलाई, 2022**
20. केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) ने 8 अगस्त, 2022 को कृत्रिम सत्र आयोजित करने के लिए हरियाणा विधानसभा में अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र की शुरुआत में नेवा का शुभारंभ किया। सत्र के दौरान, विधानसभा ने नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने कार्य का संचालन किया और इस प्रकार नेवा के माध्यम से डिजिटल विधानमंडलों के समूह में शामिल हो गई। **8-10 अगस्त, 2022**
21. सीपीएमयू नेवा ने मेघालय विधानसभा के विधायकों के लिए शिलांग, मेघालय में नेवा पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। **8 अगस्त, 2022**

22. उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के साथ विधानसभा के अधिकारियों द्वारा नेवा के एंड-टू-एंड एकीकरण के लिए एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया। **23 अगस्त, 2022**
23. सीपीएमयू द्वारा मिजोरम विधानसभा के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मिजोरम विधानसभा के अधिकारियों के प्रश्नों के समाधान सहित 9 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। **24-26 अगस्त, 2022**
24. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में अधिकारप्राप्त समिति की 11वीं बैठक पुडुचेरी विधानमंडल हेतु परियोजना को मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने ₹8,50,28,250 की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी। **2 सितंबर, 2022**
25. मिजोरम विधानसभा ने अपना सत्र नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आयोजित किया। इस संदर्भ में सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा विधानसभा को आवश्यक सहयोग दिया गया ताकि सत्र को बाधा रहित तरीके से संचालित किया जा सके। **6-8 सितंबर, 2022**
26. केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, नेवा के अधिकारियों को मेघालय विधानसभा में प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि मेघालय विधानसभा को नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करके अपना सत्र सफलतापूर्वक चलाने में सहायता प्रदान की जा सके। **9-16 सितंबर, 2022**
27. केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, नेवा के अधिकारियों को यूपी विधान परिषद में प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि परिषद को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने सत्र को सफलतापूर्वक चलाने में सहायता प्रदान की जा सके। **19-23 सितंबर, 2022**
28. केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, नेवा ने नेवा के डिजिटल सदन मॉड्यूल के बारे में तमिलनाडु विधानसभा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। **20 अक्टूबर, 2022**
29. हरियाणा विधानसभा के चार अधिकारियों ने संसदीय सौध, नई दिल्ली में सीपीएमयू, नेवा प्रकोष्ठ का दौरा किया। दौरे पर आए अधिकारियों को नेवा प्लेटफॉर्म के अन्य मॉड्यूल्स से संबंधित प्रश्नों के समाधान के साथ-साथ डिजिटल अभिलेखागार और रिपोर्टर मॉड्यूल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। **23-25 नवंबर, 2022**
30. ई-शासन पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रदर्शनी समारोह में नेवा प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टॉल स्थापित करने हेतु कटरा, जम्मू में 2 सदस्यों की एक टीम नियुक्त की गई थी। प्रदर्शनी में, स्टॉल पर आने वाले आगंतुकों को उनके प्रश्नों के समाधान के साथ-साथ नेवा परियोजना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी गई। इसने सुशासन को प्रोत्साहित करने के भाग के रूप में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई डिजिटल पहलों के बारे में जागरूकता फैलाई। **26-27 नवंबर, 2022**
31. केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, नेवा ने नेवा प्लेटफार्म के संबंध में पेश आ रही समस्याओं को हल करने और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के सुझावों पर विचार करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की। **14 नवंबर, 2022**
32. बिहार विधान परिषद के अधिकारियों के लिए नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से उत्पन्न होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्हें डिजिटल अभिलेखागार और रिपोर्टर्स मॉड्यूल का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। **28 नवंबर, 2022**
33. मेघालय विधानसभा ने सीपीएमयू, नेवा में अपने 4 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया था। दौरे पर आए अधिकारियों को रिपोर्टर मॉड्यूल, डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया। सीपीएमयू द्वारा एक

प्रश्न समाधान सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें तकनीकी टीम द्वारा उनकी चिंताओं को सुना गया और उनका समाधान किया गया। **5-7 दिसंबर, 2022**

34. सीपीएमयू नेवा के 2 अधिकारियों ने नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करके अपने सत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए विधानसभा की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा, लखनऊ का दौरा किया। **5-7 दिसंबर, 2022**
35. हरियाणा विधानसभा ने अपना शीतकालीन सत्र 2022 नेवा के माध्यम से आयोजित किया। नेवा के माध्यम से सदन के कार्य के निर्बाध निष्पादन हेतु उनके अनुरोध पर सीपीएमयू टीम के 4 अधिकारियों को हरियाणा विधानसभा में प्रतिनियुक्त किया गया था। **23-28 दिसंबर, 2022**

12.4 नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें

नेवा परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकारप्राप्त समिति - नेवा परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:-

1. सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय)	- अध्यक्ष
2. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उनके नामिति	- सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार	- सदस्य
4. महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी	- सदस्य
5. एमडी, एनआईसीएसआई	- सदस्य
6. संबंधित विधानमंडल का सचिव	- सदस्य
7. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सचिव (आईटी)	- सदस्य
8. अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर	- सदस्य सचिव
9. अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-विशेष आमंत्रितगण

दिसंबर, 2022 तक विभिन्न विधानमंडलों की परियोजना को अनुमोदित करने के लिए अधिकारप्राप्त समिति की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई हैं:

नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	**अधिकारप्राप्त समिति की बैठक संख्या**	**बैठक की तारीख**	**विधानमंडल जिनके लिए परियोजना मंजूर की गई/अभ्युक्ति**
1	पहली	12 अक्तूबर, 2020	पंजाब और ओडिशा
2	दूसरी	26 नवंबर, 2020	नागालैंड, बिहार विधानसभा और बिहार परिषद
3	तीसरी	22 मार्च, 2021	मणिपुर, सिक्किम और तमिलनाडु
4	चौथी		
5	पांचवीं	21 दिसंबर, 2021	त्रिपुरा
6	छठी	23 दिसंबर, 2021	मेघालय और हरियाणा
7	सातवीं	24 जनवरी, 2022	मिजोरम
8	आठवीं	14 मार्च, 2022	उत्तर प्रदेश विधानसभा और परिषद

9	नौवीं	24 जून, 2022	गुजरात
10	दसवीं	29 जून, 2022	झारखंड
11	ग्यारहवीं	2 सितंबर, 2022	पुडुचेरी

12.5 **नेवा पर गण्यमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां**

1. ***अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण, 20 नवंबर, 2020***

"साथियों, संसद और विधान सभाओं को डिजिटल करने के कुछ प्रयास चल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ें। अगर सभी पीठासीन अधिकारी इस दिशा में पहल करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक और सांसद इस तकनीक को तेजी से अपनाएंगे।

आजादी के 75 सालों को देखते हुए क्या आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं? क्या आप ये लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो। आम नागरिक और देश के सभी सदनों को सभी सदनों के कामकाज का रियल टाइम ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना को जल्द से जल्द अपनाएं। अब हमें अपने काम करने के तरीके, पेपरलेस तरीकों में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। साथियों, देश को संविधान सौंपते समय संविधान सभा एकमत थी कि आने वाले भारत में परंपराओं से भी बहुत कुछ स्थापित होगा। संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां इस ताकत को दिखाएं और अपने साथ नई परंपराएं जोड़ती रहें।"

2. ***श्री राम नाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति अपने बजट भाषण, 2021-22 के दौरान, 29 जनवरी, 2021***

"टेक्नोलॉजी का यह प्रयास देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी सशक्त बना रहा है। इस दिशा में ई-विधान ऐप के माध्यम से विधानसभाओं, विधान परिषदों तथा संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। राज्यों की विधानसभाओं में नेवा - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का कार्यान्वयन विधायी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में एक नए युग की शुरूआत करेगा।"

3. 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण
17 नवंबर, 2021, हिमाचल प्रदेश

"मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधान सभाएं और राज्य अमृतकाल के दौरान इस अभियान को नई ऊंचाई तक ले जाएं, मेरे पास एक विचार है - वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म - क्या ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय प्रणाली को आवश्यक तकनीकी अवलंब प्रदान करे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का काम भी करे। इस पोर्टल पर हमारे सदनों के लिए सभी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। हमारी संसद और सभी विधानमंडलों के पुस्तकालयों को डिजिटाइज़ करने और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य विधानमंडलों को काम करने

दें, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष और राज्य सभा के माननीय उप-सभापति के नेतृत्व में, आप पीठासीन अधिकारी इस प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं। किए जा रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी।"

12.6 राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां

बिहार विधान परिषद

बिहार विधान परिषद नेवा का उपयोग करके सदन के डिजिटलीकरण के लिए सदन के भीतर हार्डवेयर अवसंरचना स्थापित करने वाली देश की पहली विधायिका बन गई। परिषद में 25 नवंबर, 2021 को नेवा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ और बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र-2021 नेवा के माध्यम से चलाया गया। उसके बाद से परिषद अपना सदन नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाती है।

बिहार विधान परिषद में 25 नवंबर, 2021 को नेवा का उद्घाटन,और बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र-2021 के दौरान कार्य का निष्पादन।

हरियाणा विधानसभा

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने माननीय अध्यक्ष, श्री ज्ञान चंद गुप्ता, माननीय उपाध्यक्ष, श्री रणबीर गंगवा, उप-मुख्यमंत्री, श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय नेता प्रतिपक्ष, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा के माननीय सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में 8 अगस्त, 2022 को हरियाणा विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का उद्घाटन किया।

हरियाणा विधानसभा सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यशाला का कार्यान्वयन और उद्घाटन

हरियाणा विधानसभा ने अपने सदन के कार्य को नेवा के माध्यम से निष्पादित करना आरंभ किया। तत्पश्चात, विधानसभा ने अपना अगस्त सत्र, 2022 और दिसंबर सत्र, 2022 नेवा के माध्यम से संचालित किया।

नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से सदन के कार्य का निष्पादन

मेघालय विधानसभा

मेघालय विधानसभा ने अपने सदन के कार्य का संचालन शरद सत्र, 2022 से नेवा के माध्यम से करना शुरू किया। इस सत्र के दौरान, माननीय अध्यक्ष, श्री मेटबाह लिंग्दोह ने सदन के कार्य के डिजिटल निष्पादन हेतु नेवा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। सत्र के दौरान, सीपीएमयू टीम द्वारा 9-16 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान की गई।

मेघालय विधानसभा को उनके शरद सत्र, 2022 के दौरान सहायता।

मिजोरम विधानसभा

मिजोरम विधानसभा ने जुलाई, 2021 में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद अक्टूबर, 2021 में अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेवा की अधिकारप्राप्त समिति ने जनवरी, 2022 के दौरान मिजोरम विधानसभा के लिए परियोजना को मंजूरी दी। जल्दी ही विधानसभा ने नेवा के माध्यम से अपने सदन का कार्य संचालन शुरू कर दिया और नेवा की सहायता से अपने सदन का सत्र संचालित किया।

मिजोरम विधानसभा सदन में स्थापित सुसंगत हार्डवेयर के साथ।

नागालैंड विधान सभा

पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड ने अपने सदन के कार्य का निष्पादन नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया। यह डिजिटल विधानमंडलों के समूह में शामिल हो गई और इसने अपना बजट सत्र 2022 नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया। सचिवालय ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक हार्डवेयर स्थापित कर लिए हैं।

नेवा के माध्यम से नागालैंड विधानसभा का सत्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने 20 मई, 2022 को योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय अध्यक्ष, श्री सतीश महाना और विपक्ष के नेता, श्री अखिलेश यादव की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने सदन के कार्य को नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से निष्पादित करना शुरू कर दिया है।

नेवा के माध्यम से सदन का कार्यचालन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने सभी प्रासंगिक हार्डवेयर स्थापित कर दिए हैं और अपने सदन के कार्य का निष्पादन नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। परिषद ने 2022 में अपना सत्र नेवा प्लेटफॉर्म की मदद से आयोजित किया।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदन के कार्य का नेवा के माध्यम से निष्पादन

ओडिशा विधानसभा

"देश में एक मॉडल बजट" की टैगलाइन के साथ, ओडिशा ने अपना बजट 2021-22 नेवा के माध्यम से पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया। बजट भाषण टैबलेट डिवाइस के माध्यम से दिया गया और माननीय सदस्यों ने इस दस्तावेज़ को नेवा ई-बुक से एक्सेस किया।

ई-बजट: बजट का नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण

12.7 नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति

समझौता ज्ञापन

कागज रहित राज्य विधानमंडलों और विधायकों एवं अन्य हितधारकों को सूचना और सेवा का इलेक्ट्रॉनिक परिदान उपार्जित करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन - नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अभी तक समझौता ज्ञापन पर निम्नलिखित विधानमंडलों के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके विधानमंडल

क्र.सं.	राज्य	हस्ताक्षर करने की तारीख
1	बिहार विधान परिषद	27.02.2020
2	पंजाब विधान सभा	18.03.2020
3	बिहार विधान सभा	23.03.2020
4	मेघालय विधान सभा	30.03.2020
5	गुजरात विधान सभा	04.07.2020
6	ओडिशा विधान सभा	17.03.2020
7	मणिपुर विधान सभा	02.09.2020
8	पुडुचेरी विधान सभा	13.09.2020
9	अरूणाचल प्रदेश विधान सभा	14.09.2020
10	नागालैंड विधान सभा	15.10.2020
11	त्रिपुरा विधान सभा	24.11.2020
12	हिमाचल प्रदेश विधान सभा	13.01.2021

13	छत्तीसगढ़ विधान सभा	27.01.2021
14	सिक्किम विधान सभा	10.02.2021
15	तमिलनाडु विधान सभा	19.02.2021
16	हरियाणा विधान सभा	25.02.2021
17	उत्तर प्रदेश विधान सभा	08.04.2021
18	मिजोरम विधान सभा	08.07.2021
19	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	27.09.2021
20	झारखंड विधान सभा	06.10.2021
21	जम्मू और कश्मीर विधान सभा	25.02.2022

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रत्येक सदन को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होती है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी संपत्तियों और जनशक्ति की आवश्यकता का गैप विश्लेषण शामिल होता है। इस प्रकार तैयार की गई डीपीआर सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जाएगी, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आईटी विभाग/राज्य विधानमंडल के बजट-लाइन नोडल विभाग/राज्य सरकार द्वारा राज्य की हिस्सेदारी, जनशक्ति समर्थन, संचालन और रखरखाव और अतिरेक प्रबंधन आदि सहित सभी मामलों के संदर्भ में डीपीआर की जांच की जाएगी। डीपीआर की मंजूरी और परियोजना का कार्यान्वयन, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण की सिफारिश के साथ राज्य स्तरीय नेवा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा।

अभी तक निम्नलिखित विधानमंडलों ने अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उनके अनुमोदन की स्थिति भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है-

डीपीआर और परियोजना अनुमोदन की स्थिति

क्र.सं.	**विधानमंडल**	**डीपीआर प्रस्तुत करने की तारीख**	**राज्य के अनुसार मांग**	**मंजूर की गई राशि**	**अधिकारप्राप्त समिति की बैठक (तारीख)**
1.	पंजाब	23-03-2020	18,30,35,637/-	12,31,05,100/-	पहली (12-10-2020)
2.	ओडिशा	23-06-2020	12,51,61,556.04/-	8,58,03,400/-	
3.	बिहार विधान सभा	17-09-2020	21,25,49,504/-	15,97,00,100/-	दूसरी (26-11-2020)
4.	बिहार विधान परिषद	19-10-2020	9,17,36,550/-	8,21,46,550/-	
5.	नागालैंड	26-10-2020	16,99,59,757/-	8,72,29,700/-	
6.	मणिपुर	30-11-2020	11,97,66,150/-	9,57,91,050/-	तीसरी (22-03-2021)
7.	तमिलनाडु	09-03-2021	16,49,85,766/-	15,55,50,750/-	
8.	सिक्किम	18-02-2021	25,07,73,646/-	8,48,23,450/-	
9.	अरूणाचल प्रदेश	29-01-2021	27,37,15,000/-	प्रक्रियाधीन	
10.	त्रिपुरा	11-09-2021	9,53,61,423/-	8,95,32,950/-	पांचवीं (21-12-2022)

11.	मेघालय	15-04-2021	11,75,11,463/-	10,42,82,900/-	छठी (23-12-2022)
12.	हरियाणा	26-07-2021	13,95,87,739/-	8,53,53,390/-	
13.	मिजोरम	27-10-2021	13,60,85,279/-	8,70,84,750	सातवीं (24-01-2022)
14.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	25-10-2021	11,23,86,960/-	8,91,52,800/-	आठवीं (14-03-2022)
15.	उत्तर प्रदेश विधान सभा	15-11-2021	28,17,34,115/-	17,81,31,300/-	
16.	गुजरात	16-04-2022	29,12,16,012.90/-	13,06,13,200	नौवीं (24-06-2022)
17.	झारखंड	06-05-2022	12,82,99,965/-	8,02,48,250	दसवीं (29-06-2022)
18.	पुडुचेरी	22-06-2022	11,39,96,934/-	8,50,28,250	ग्यारहवीं (02-09-2022)

राज्य सरकारों को निधियां जारी करना

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नेवा के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य के सचिव (राज्य विधानमंडल का बजट-लाइन नोडल विभाग) को निधियां जारी करेगा। बजट-लाइन विभाग राज्य की निर्धारित हिस्सेदारी के साथ निधियों को निष्पादक प्राधिकारी, नेवा को अंतरित करेगा।

निधियां (किश्तें) जारी करने के लिए नियम और शर्तें:

1. पहली किस्त (स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक) राज्य की हिस्सेदारी के टोकन बजट प्रावधान/दायित्व के अधीन रहते हुए केंद्रीय स्तर पर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी।
2. दूसरी किस्त (40% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए पहली किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
3. तीसरी किस्त (20% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए दूसरी किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
4. चौथी और अंतिम किस्त परियोजना पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के बाद जारी की जाएगी।

अथवा

5. उन राज्यों के मामले में, जो परियोजना के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं, ऊपर उल्लिखित एक या अधिक किस्त साथ-साथ जारी की जाएगी।

अथवा

6. जो राज्य परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय अनुदान के अभाव में अपना व्यय स्वयं वहन करते हैं, उन्हें एक किस्त में समस्त धनाशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो केंद्र की हिस्सेदारी में आने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।

विधानमंडलों को वित्तीय सहायता के रूप में निम्नलिखित अनुदान जारी किया गया है-

विधानमंडलों को जारी की गई किश्तें

क्र.सं.	राज्य/विधानमंडल	स्वीकृत परियोजना लागत	पहली किश्त (20%)	दूसरी किश्त (40%)	तीसरी किश्त (20%)
1.	पंजाब	12,31,05,100	1,47,72,612	2,95,45,224	
			(26-10-2020)	(22-11-2022)	
2.	ओडिशा	8,58,03,400	1,02,96,408	2,05,92,816	
			(26-10-2020)	(17-03-2022)	
3.	बिहार विधानसभा	15,97,00,100	1,91,64,012		
			(09-12-2020)		
4.	बिहार परिषद	8,21,46,550	98,57,586	1,97,15,172	
			(09-12-2020)	(24-01-2022)	
5.	नागालैंड	8,72,29,700	1,57,01,346	3,14,02,692	1,57,01,346
			(09-12-2020)	(14.01.2022)	(21-09-2022)
6.	मणिपुर	9,57,91,050	1,72,42,389		
			(18-01-2021)		
7.	तमिलनाडु	15,55,50,750	1,86,66,090	3,73,32,180	
			(30-03-2021)	(16.03.2022)	
8.	सिक्किम	8,48,23,450	1,52,68,221	3,05,36,442	
			(30-03-2021)	(30-03-2022)	
9.	त्रिपुरा	8,95,32,950	1,61,15,931	3,22,31,862	
			(25-01-2022)	(28-12-2022)	
10.	हरियाणा	8,53,53,390	1,02,42,407	2,04,84,814	1,02,42,407
			(25-01-2022)	(19-05-2022)	(29-12-2022)
11.	मेघालय	10,42,82,900	1,87,70,922	3,75,41,844	
			(25-01-2022)	(17.06.2022)	
12.	मिजोरम	8,70,84,750	1,56,75,255	3,13,50,510	
			(07-03-2022)	(07-09-2022)	
13.	उत्तर प्रदेश विधानसभा	17,81,31,300	2,13,75,756	4,27,51,512	2,13,75,756
			(24-03-2022)	(31-03-2022)	(17-10-2022)
14.	उत्तर प्रदेश परिषद	8,91,52,800	1,06,98,336		
			(24-03-2022)		
15.	गुजरात	13,06,13,200	1,56,73,584		
			(24-08-2022)		
16.	झारखंड	8,02,48,250	96,29,790		
			(24-08-2022)		
17.	पुडुचेरी	8,50,28,250	1,70,11,650		
			(04-10-2022)		
	कुल योग	**1,80,35,77,890**	**25,61,62,295**	**33,34,85,068**	**4,73,19,509**

12.8 नेवा सारांश

नेवा के साथ लाइव होने के चरण

निम्नलिखित प्रवाह संचित्र किसी विधानमंडल को अभी के लिए कम कागज उपयोग करने वाले विधानमंडल में और बाद में एक पूर्ण कागज-रहित विधानमंडल में परिवर्तित करने की चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में बताता है।

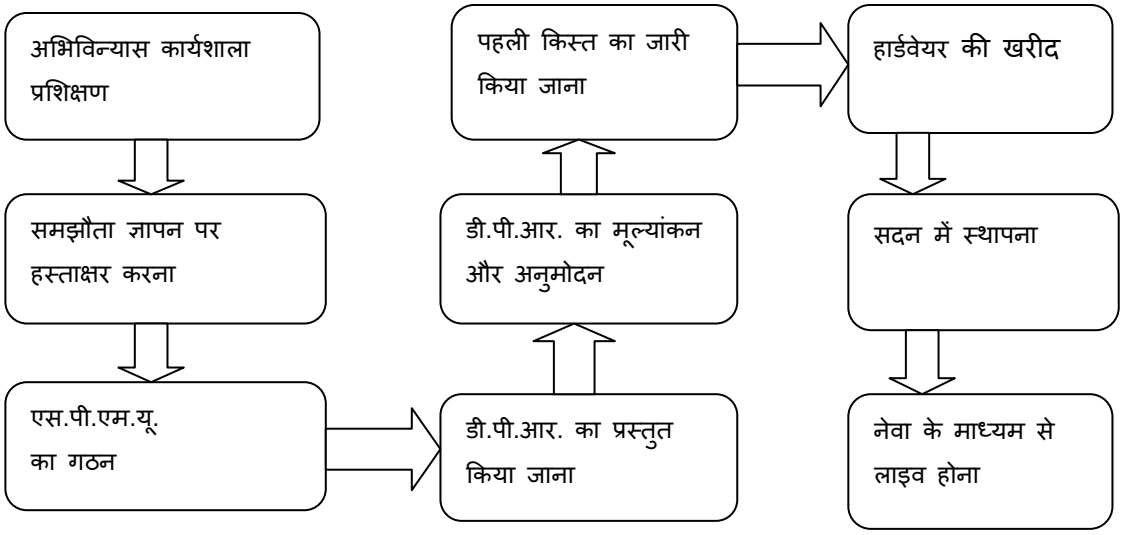

नेवा और इसके उपयोगकर्ता

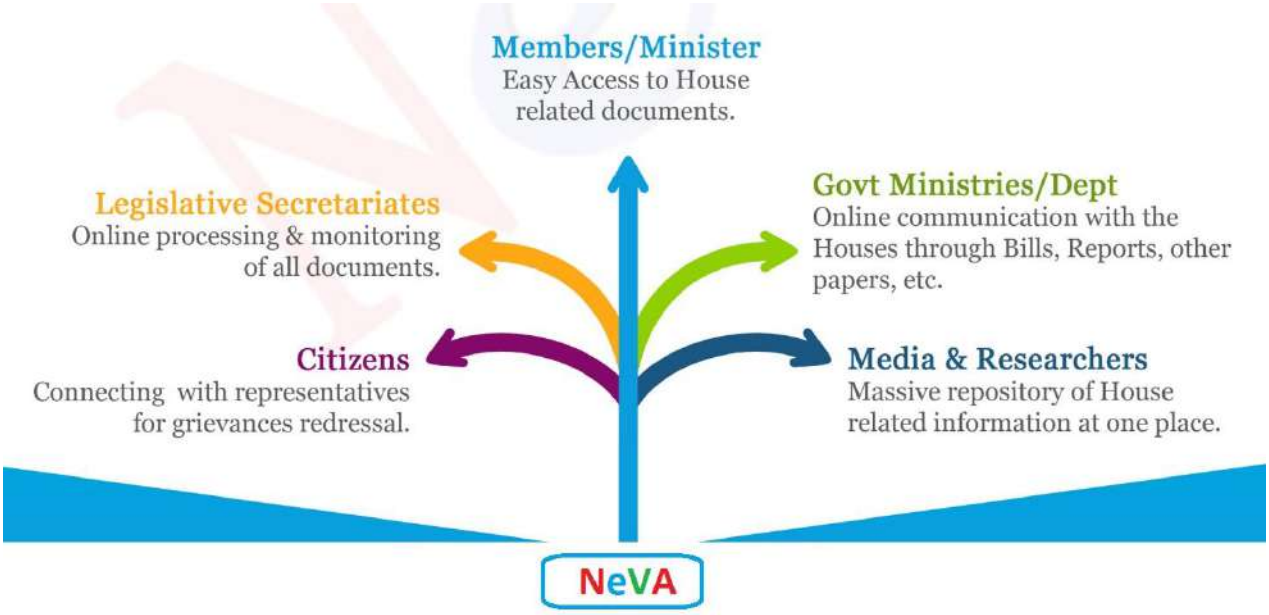

नेवा के लाभार्थी

नेवा के सूत्रपात हेतु बुनियादी जरूरतें

सॉफ्टवेयर

i) एक कोर एप्लिकेशन के रूप में नेवा को एनआईसीएसआई की सहायता से सीपीएमयू द्वारा विकसित किया गया है।

ii) कोर एप्लिकेशन के विकास, ई-लर्निंग सामग्री, जरूरी अतिरिक्त साफ्टवेयर (ए.एस.)/ऑपरेटिंग प्रणाली (ओ.एस.)/प्रचालन और अनुरक्षण (ओ.एण्ड एम.) के लिए सीपीएमयू।

iii) नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

हार्डवेयर

i) सीपीएमयू के लिए ए.एस./ओ.एस. और कंप्यूटरों सहित क्लाउड होस्टिंग हेतु हार्डवेयर की खरीद सीपीएमयू द्वारा की जाएगी।

ii) राज्य विधानमंडलों के लिए ए.एस./ओ.एस./ओ.एण्ड एम. सहित हार्डवेयर की खरीद राज्य के निष्पादक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

iii) सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए जरूरी ए.एस./ओ.एस. सहित टच इनेबल्ड उपकरण।

iv) नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा/ई-लर्निंग केंद्र) की स्थापना।

v) राज्य सरकार/राज्य सरकार के नोडल विभाग द्वारा एसपीएमयू की स्थापना।

vi) राज्य विधानमंडल में वेबकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर।

vii) सीपीएमयू, राज्य विधानमंडल/एसपीएमयू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

क्षमता निर्माण

i) सीपीएमयू द्वारा ई-सुविधा केंद्र सहित नेवा के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा नियोजित स्टाफ का क्षमता निर्माण।

ii) सीपीएमयू द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

iii) सीपीएमयू द्वारा नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

iv) सीपीएमयू/एसपीएमयू द्वारा एक्सपोजर दौरा और केएमएस/डिजिटल लाईब्रेरी।

निधिकरण

i) राज्य की हिस्सेदारी सहित केंद्रीय प्रायोजित योजना के पैटर्न पर परियोजना के अनुमोदन के अधीन रहते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय।

ii) दिशा-निर्देश, प्रक्रियाएं इत्यादि।

जनशक्ति

सीपीएमयू के लिए - एनआईसीएसआई/जेम के माध्यम से और एसपीएमयू के लिए राज्य सरकार अपनी स्थापित प्रक्रियाओं को अपना सकती हैं।

अध्याय - 13

सामान्य

<u>एक झलक</u>

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 35 संसद सदस्य (16 लोक सभा से और 19 राज्य सभा से); और
  (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 32 संसद सदस्य (9 लोक सभा से और 23 राज्य सभा से)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 35 संसद सदस्यों (लोक सभा के 16 और राज्य सभा के 19) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-11** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-12** में दर्शाए गए रूप में 32 संसद सदस्यों (लोक सभा के 9 और राज्य सभा के 23) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

(i) सत्रहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 26वां से 34वां प्रतिवेदन।
(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 159वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन

13.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

13.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

13.6 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-13** और **परिशिष्ट-14** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.7 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के प्रतिवेदनों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था

13.8 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

13.9 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। अंतिम 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8-9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम

13.10 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान हेतु, विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। संसदीय कार्य मंत्रालय वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, इन पाठ्यक्रमों का संचालन संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

13.11 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंतत: पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं

संसद सदस्यों का कल्याण

13.12 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

13.13 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

13.14 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

13.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री मुलायम सिंह यादव, संसद सदस्य (लो.स.), समाजवादी पार्टी के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई, जिनका मेदांता अस्पताल में दिनांक 10.10.2022 को देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को दिनांक 11.10.2022 को सैफई, उत्तर प्रदेश भेजा गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

13.16 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

13.17 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात तक चलने वाली बैठक (बैठकों) के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

13.18 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

13.19 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई/बैठक की अध्यक्षता की गई	विषय	स्थान
1.	30.1.2022	संसदीय कार्य मंत्री	बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	आभासी बैठक
2.	17.07.2022	संसदीय कार्य मंत्री	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध
3.	19.07.2022	विदेश मंत्री/संसदीय कार्य मंत्री	'श्रीलंका में वर्तमान स्थिति' पर माननीय विदेश मंत्री द्वारा ब्रीफ किया गया।	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध
4.	5.12.2022	माननीय प्रधान मंत्री	भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता के संबंध में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को ब्रीफ करना।	राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, नई दिल्ली
5.	06.12.2022	संसदीय कार्य मंत्री	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली

संसद के शीतकालीन सत्र, 2022 से पहले 06 दिसंबर, 2022 को कक्ष सं.जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक।

अनुसंधान कार्य

13.20 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका की समीक्षा करता है/उन्हें अद्यतन करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब भी पूछा जाए, संसदीय प्रक्रियाओं और परिपाटियों संबंधी मामलों पर सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकीय पुस्तिका भी तैयार करता है, मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतन करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। अनुसंधान प्रकोष्ठ लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामलों और संसदीय सचिवालयों के कार्यचालन से संबंधित मामलों को देखता है। अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

- इस मंत्रालय के नागरिक चार्टर को संशोधित करना।
- इस मंत्रालय के अनुसंधान प्रकोष्ठ के कार्य में इस मंत्रालय के इनपुट हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विभिन्न विषयों पर नीति संबंधी कार्य और अनुसंधान कार्य शामिल हैं।
- वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ भारत 2022 तैयार करना।

बजट की स्थिति

13.21 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट अनुमान 2022-23		संशोधित अनुमान 2022-23		बजट अनुमान 2023-24		वास्तविक व्यय 2022-23 (20.1.2023 तक)	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व खंड	13.00 - स्थापना								
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.01 - वेतन	--	149900	--	149900	--	85000	--	133243
	13.00.03 - समयोपरि भत्ता	--	200	--	200	--	--	--	177
	13.00.05 - पुरस्कार	--	--	--	--	--	700	--	--
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	--	7000	--	4000	--	4000	--	2512
	13.00.07 - भत्ते	--	--	--	--	--	65300	--	--
	13.00.08 - छुट्टी यात्रा रियायत	--	--	--	--	--	900	--	--
	13.00.09 - प्रशिक्षण व्यय	--	--	--	--	--	200	--	--
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	--	5000	--	7000	--	5000	--	4550
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	--	20000	--	10000	--	17000	-	1449
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	--	19000	--	21000	--	13900	--	17269
	13.00.16 - मुद्रण और प्रकाशन	--	1000	--	1000	--	1000	--	632
	13.00.18 - अन्य हेतु किराया	--	--	--	--	--	500	--	--
	13.00.19 - डिजिटल उपकरण	--	--	--	--	--	3000	--	--
	13.00.20 - अन्य प्रशासनिक व्यय	--	7000	--	7000	--	--	--	4260
	13.00.24 - ईंधन और स्नेहक	--	--	--	--	--	1200	--	--
	13.00.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	200	--	--	--	200	--	--
	13.00.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	2500	--	2500	--	1500	--	1655
	13.00.29 - मरम्मत और अनुरक्षण	--	--	--	--	--	1800	--	--
	13.00.40 - अवार्ड और पुरस्कार	--	--	--	--	--	6000	--	--
	13.00.49 - अन्य राजस्व व्यय	--	--	--	--	--	300	--	--
	13.00.50 - अन्य प्रभार	--	7000	--	7000	--	--	--	4015
	13.02 -राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	1500	--	--	--	1000	--	--
	13.02 -राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	20000	--	18000	--	500	--	9274
	13.02 -राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.31 - सहायतानुदान सामान्य	--	400000	--	400000	--	380000	--	300871
	13.96 - स्वच्छता कार्य योजना 13.96.40 -अवार्ड और पुरस्कार	--	--	--	--	--	1000	--	--
	13.96 - स्वच्छता कार्य योजना 13.96.50 -अन्य प्रभार	--	1000	--	1000	--	--	--	998
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.13 - कार्यालय व्यय	--	22700	--	31000	--	--	--	6912
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**--**	**664000**	**--**	**659600**	**--**	**590000**	**--**	**487817**

<u>पूंजीगत खंड</u> मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, लघु शीर्ष "00.001" दिशा और प्रशासन 31-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 13.21 - संसदीय कार्य मंत्रालय	31.21.19 - डिजिटल उपकरण	--	--	---	--	-	28000	--	--
	31.21.51 - मोटर वाहन	--	--	--	--	--	1500	--	--
	31.21.52 - मशीनरी और उपकरण	--	--	--	--	--	1500	--	--
	31.21.71 - सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी)	--	--	--	--	--	8500	--	--
	31.21.74 - फर्निचर और फिक्सचर्स	--	--	--	--	--	300	--	--
	31.21.77 - अन्य अचल संपत्ति	--	--	--	--	--	200	--	--
	कुल मुख्य शीर्ष '4070'	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**40000**	**--**	**--**
	कुल जोड़ - संसदीय कार्य मंत्रालय	**--**	**664000**	**--**	**659600**	**--**	**630000**		**487817**

वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

13.22 उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण, जिन पर मंत्रालय में ए.टी.एन. लंबित है

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
	2022-23 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

दिव्यांजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

13.23 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांगजनों के लाभ के मामलें में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

स्वच्छता पखवाड़ा

13.24 संसदीय कार्य मंत्रालय में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 16 अप्रैल, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा, 2022 मनाया गया। मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना बनाई गई थी।

लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान

13.25 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2022 के दौरान लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 2.0 चलाया गया, जिसके दौरान लोक शिकायतों, संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों, संसदीय आश्वासनों के निपटान, स्वच्छता अभियान, स्क्रैप के निपटान तथा फाइलों की छंटाई/अभिलेख प्रबंधन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अभियान के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की:

(क) 373 भौतिक फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य हासिल किया गया।
(ख) 461 ई-फाइलों की समीक्षा का लक्ष्य हासिल किया गया।
(ग) विशेष अभियान 2.0 के दौरान 226 फाइलें नष्ट की गईं।
(घ) स्क्रैप की बिक्री से रू.1,23,810 /- का राजस्व प्राप्त हुआ।

संसदीय कार्य मंत्रालय जन शिकायतों और प्रधान मंत्री कार्यालय के संदर्भों को प्राथमिकता के आधार पर देखता है और अभियान के दौरान त्वरित और तत्काल कार्रवाई के कारण विचाराधीनता शून्य रही थी। डिजिटल पहल, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) और ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (ओएएमएस) विशेष अभियान 2.0 के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली बने रहे।

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह

13.26 **संविधान दिवस समारोह, 2022**

संक्षिप्त विवरण

माननीय प्रधान मंत्री की पहल पर, पहली बार संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था जब 2015 में संविधान के जनक, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी।

तब से, भारत के संविधान को अंगीकृत करने और संविधान के संस्थापकों के योगदान के सम्मान में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

हालांकि, इस वर्ष इस समारोह के लिए नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था, संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के भागीदार के रूप में समारोह को देश के कोने-कोने तक और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों तक प्रसारित करने के लिए 26 नवंबर, 2022 को संविधान दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस आयोजन की तैयारियों के परिणामस्वरूप, शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया था कि यह संविधान दिवस ***"Bharat: Loktantra ki Janani" / "भारत - लोकतंत्र की जननी".*** विषय पर मनाया जा रहा है।

पिछले वर्ष की गति को अगले स्तर तक ले जाने और काफी प्रयासों के बाद, मंत्रालय के निम्नलिखित दो पोर्टलों को मजबूत तरीके से नया रूप देकर और अद्यतित किया गया था और MyGov प्लेटफॉर्म से इस मंत्रालय के एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया था:

1. अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित 22 अन्य भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन (https://readpreamble.nic.in/).
2. भारत के संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी (https://constitutionquiz.nic.in/).

<u>माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पूर्वावलोकन कार्यक्रम तथा संशोधित और अद्यतन पोर्टल का शुभारंभ</u>

संविधान दिवस, 2022 (26 नवंबर) के समारोह के उपलक्ष्य में, पूर्वावलोकन कार्यक्रम 25 नवंबर, 2022 को समिति कक्ष सं.1, संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी) ने आभासी माध्यम से मंत्रालय के संशोधित और अद्यतन पोर्टलों का शुभारंभ किया। समारोह में प्रेस के अलावा सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।

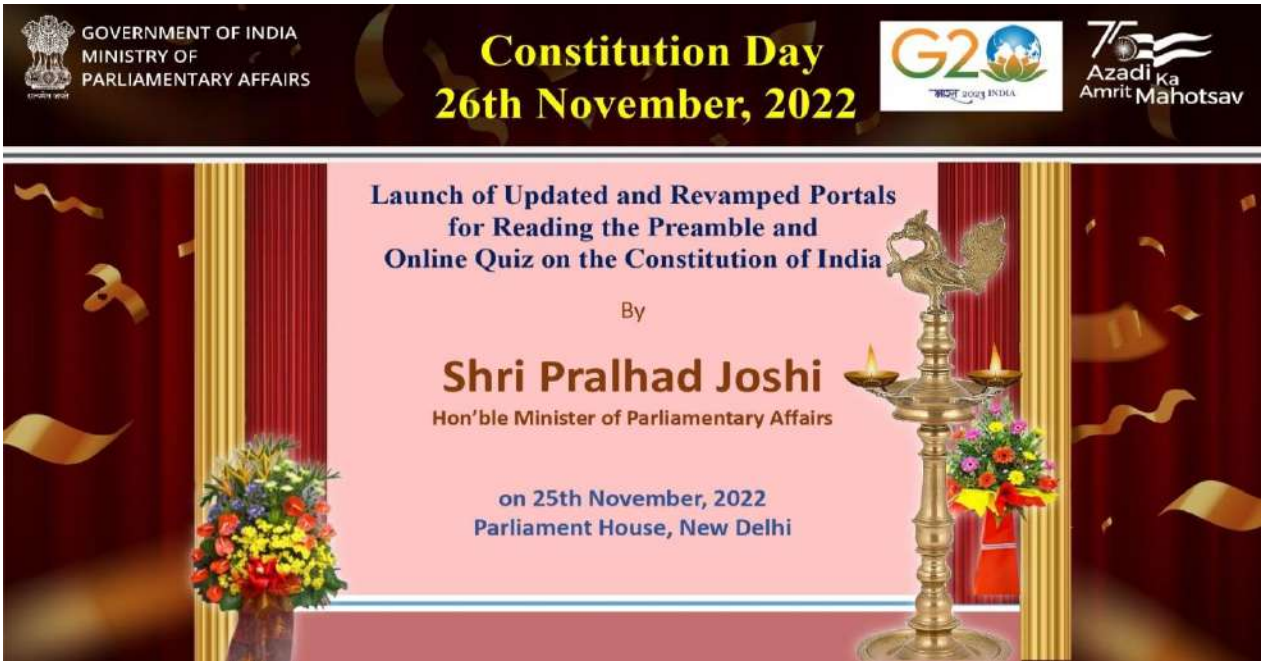

[माननीय मंत्री मंत्रालय के पोर्टलों का शुभारंभ करते हुए।]

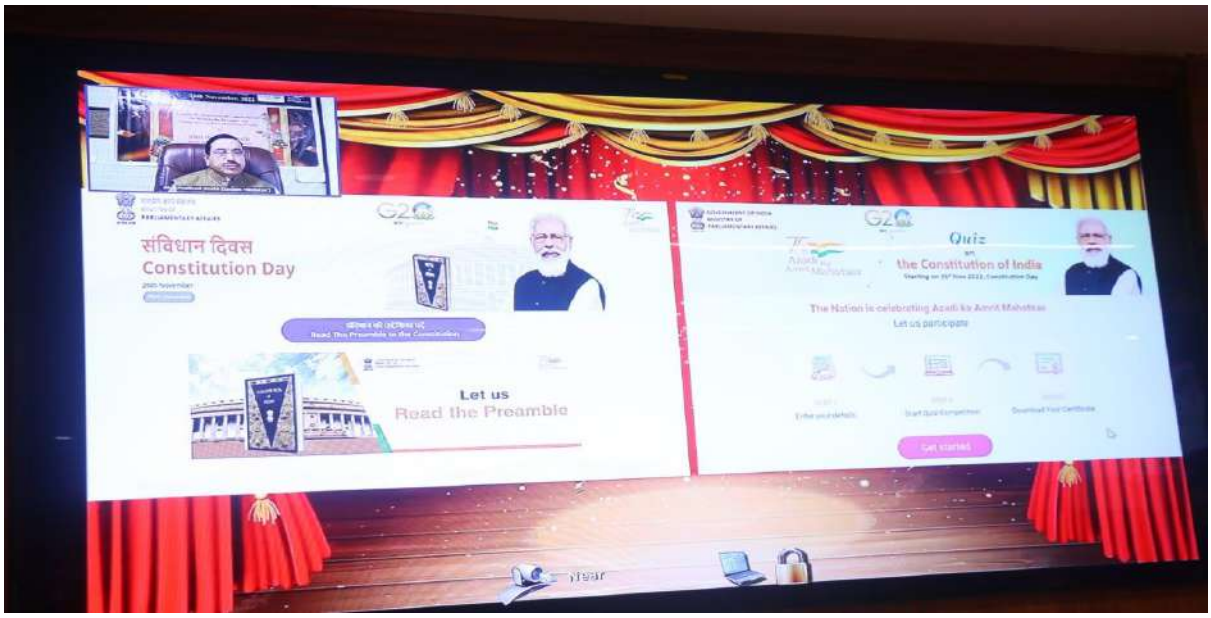

[माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आरंभ किए गए पोर्टल - https://readpreamble.nic.in/ और https://constitutionquiz.nic.in/]

1. संविधान की प्रस्तावना के वाचन हेतु पोर्टल।

   विशेषताएं:

   - वेबसाइट *https://readpreamble.nic.in/.*
   - कोई भी कहीं से भी संविधान की प्रस्तावना को अंग्रेजी और 22 राजभाषाओं में पढ़ सकता है।
   - प्रस्तावना के वाचन के पश्चात प्रतिभागी स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

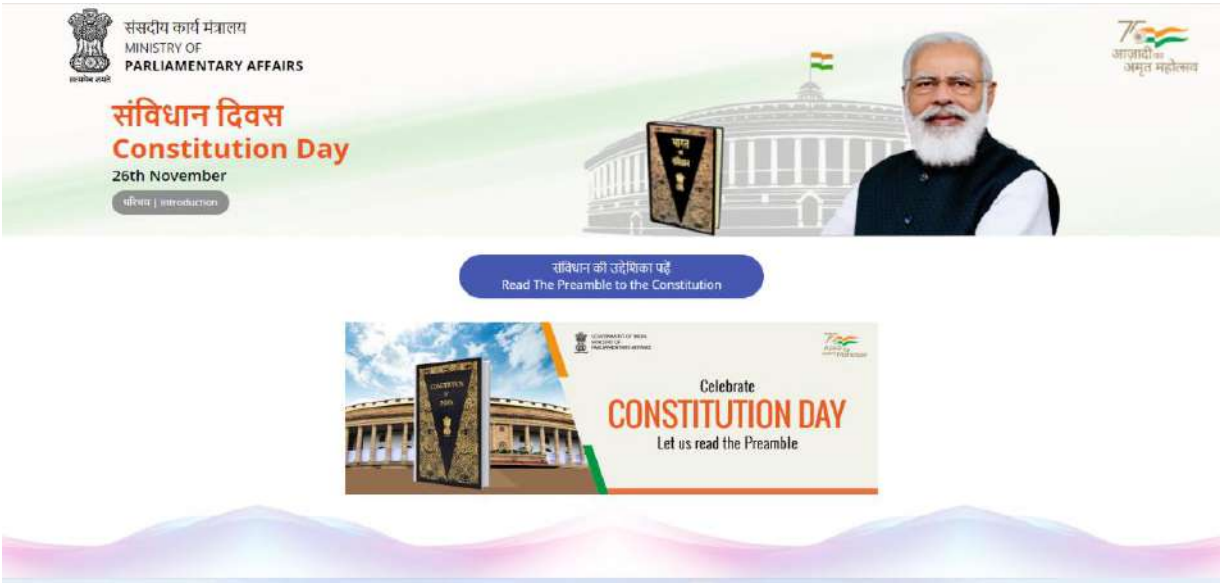

[संविधान की प्रस्तावना के वाचन हेतु पोर्टल का स्क्रीन शॉट]

2. भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी

जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने अन्य पोर्टल अर्थात "भारत के संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी" को भी संशोधित और अद्यतित किया था।

["भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी" के पोर्टल का स्क्रीन शॉट]

- विशेषताएं :
  - वेबसाइट (https://constitutionquiz.nic.in/).
  - इसमें भारतीय संविधान और इसके लोकतंत्र के संबंध में बहुत सरल और बुनियादी प्रश्न शामिल हैं।
  - कोई भी भाग ले सकता है और प्रतिभागिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।
  - इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल मूल्यों / लोकाचार को लोकप्रिय बनाना है न कि किसी के ज्ञान की परीक्षा लेना।
  - हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

पोर्टलों का शुभारंभ करने के बाद, माननीय मंत्री ने इस अवसर पर अपना भाषण दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के भाषण के महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं:

- सभी साथी नागरिकों को 23 भाषाओं में से उपयुक्त भाषा में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, स्कूलों/कॉलेजों आदि सहित बड़े पैमाने पर जनता इस पोर्टल पर जा सकते हैं।

[माननीय संसदीय कार्य मंत्री आभासी माध्यम से अपना भाषण देते हुए]

- माननीय मंत्री ने बताया कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और पहल पर संविधान दिवस पहली बार डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर, 2015 को मनाया गया था।

- उन्होंने मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जनता से मौलिक अधिकारों के बजाय मौलिक कर्तव्यों के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया क्योंकि एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्ति के मौलिक कर्तव्यों की उपज हैं।

उक्त अवसर पर, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी से शपथ लेने और सोशल मीडिया पर अपने प्रमाण पत्र साझा करने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का अनुरोध किया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय राज्य मंत्री (राज्य सभा), माननीय राज्य मंत्री (लोक सभा) और मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने readpreamble.nic.in पोर्टल के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन तथा constitutionquiz.nic.in पोर्टल के माध्यम से भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी में भाग लिया।

सोशल मीडिया

1. <u>पूर्वावलोकन से पहले/24 नवंबर, 2022</u>

❖ समारोह को अखिल भारतीय बनाने के लिए, मंत्रालय ने व्यापक रूप से और सक्रिय रूप से सोशल मीडिया यानी ट्विटर और फेसबुक का उपयोग किया। कार्यक्रम के पूर्व प्रचार के रूप में, मंत्रालय ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा 25 नवंबर, 2022 को पोर्टल लॉन्च करने के संबंध में सोशल मीडिया पर सूचना दी थी।

2. <u>पूर्वावलोकन कार्यक्रम/25 नवंबर, 2022</u>

❖ व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए, संसद टीवी के साथ-साथ प्रेस/मीडिया को भी कार्यक्रम की उपयुक्त कवरेज हेतु आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम को प्रेस द्वारा भी कवरेज प्रदान की गई थी।

संविधान की प्रस्तावना के ऑनलाइन वाचन और प्रश्नोत्तरी के पोर्टल लॉन्च

ब्यूरो | नई दिल्ली. केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के वाचन और भारत के संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना को 23 भाषाओं में से अपनी उपयुक्त भाषा में पढ़ना चाहिए। जोशी ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्कूलों, कॉलेजों आदि सहित बड़े पैमाने पर जनता द्वारा www.readpreamble.nic.in/ पोर्टल का उपयोग करते हुए प्रस्तावना को पढ़कर स्व-हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि इसे एक जन अभियान बनाने और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संविधान पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के एक अन्य पोर्टल www.constitutionquiz.nic.in/ को भी अपडेट किया है। यह एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी है, जिसमें भारतीय संविधान और उसके लोकतंत्र पर बहुत ही सरल और बुनियादी प्रश्न हैं, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है।

❖ इसके अलावा, अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित 22 अन्य भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए पोर्टल (https://readpreamble.nic.in/) से डाउनलोड किए गए प्रमाणपत्र, ट्विटर और फेसबुक पर साझा किए गए।

[फेसबुक स्क्रीनशॉट]

[ट्विटर स्क्रीनशॉट]

❖ कार्यक्रम का लाइव फीड फेसबुक पर भी साझा किया गया।

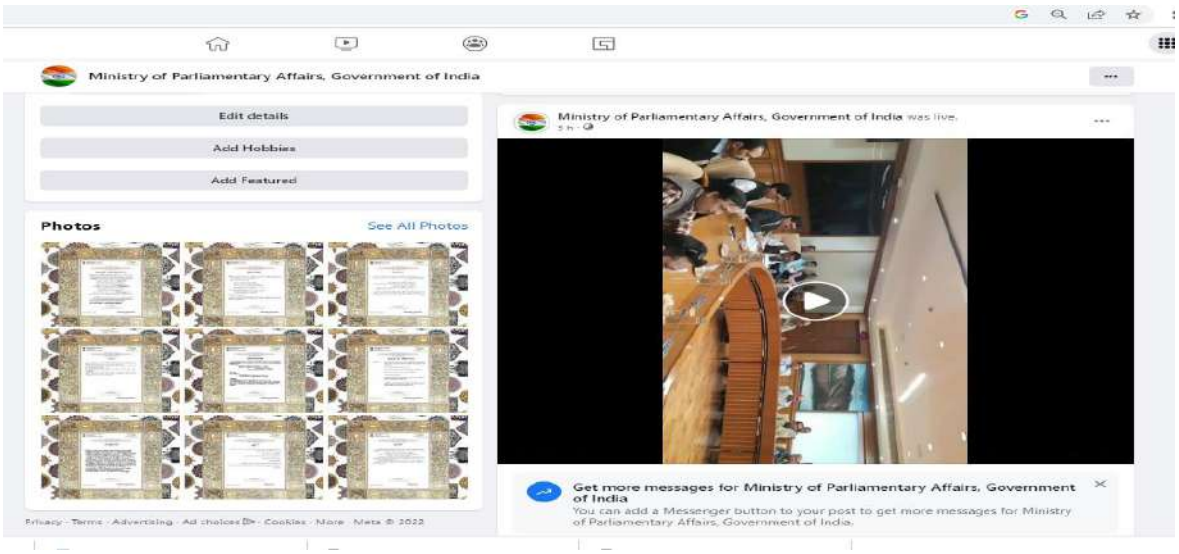

❖ पूर्वावलोकन कार्यक्रम के बाद और सभी प्रमाणपत्रों को साझा करने के बाद, गतिविधियों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर पोर्टल के बारे में बुनियादी जानकारी भी साझा की गई।

❖ कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.11.2022

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1878881 (हिंदी)

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1878856 (अंग्रेजी)

26 नवंबर/संविधान दिवस

संविधान दिवस यानी शनिवार 26 नवंबर, 2022 को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी) ने (https://readpreamble.nic.in/) पोर्टल के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना ऑनलाइन पढ़ी और ट्विटर पर प्रमाण पत्र साझा किया।

मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने समिति कक्ष 53, संसद भवन, नई दिल्ली में श्री गुडे श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा।

[दिनांक 26.11.2022 को श्री गुडे श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ प्रस्तावना पढ़ते हुए]

कार्यक्रम के पश्चात, सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ साझा किए गए।

इसके अलावा, 26 नवंबर, 2022 को संविधान दिवस, 2022 के उत्सव के संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय के ट्वीट को संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्रियों ने रीट्वीट किया।

[माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा रीट्वीट]

[माननीय राज्य मंत्री श्री मुरलीधरन द्वारा रीट्वीट]

मंत्रालय के पोर्टलों पर जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 26.11.2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई।

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1879055 (अंग्रेजी)
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1879061 (हिंदी)

आंकड़े

पूर्वावलोकन कार्यक्रम और सोशल मीडिया पर इसके प्रचार के माध्यम से, मंत्रालय जनता के बीच समारोह के संबंध में माहौल बनाने में सफल रहा था।

1. संविधान की प्रस्तावना के वाचन हेतु पोर्टल पर प्रतिभागिता

   ❖ 24 नवंबर, 2022 से लोगों की प्रतिदिन भागीदारी निम्न प्रकार है:

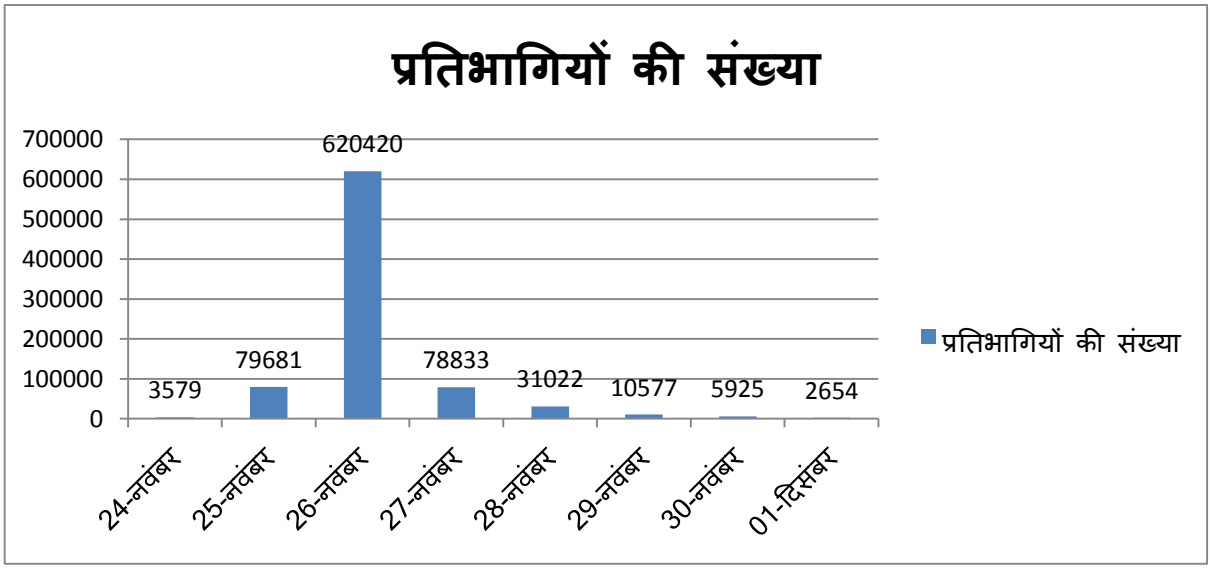

   ❖ अधिकतम प्रतिभागिता अर्थात 6.2 लाख, संविधान दिवस पर देखी गई।
   ❖ प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने वालों की कुल संख्या (01.12.2022 तक) 8,32,691 है।

2. भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी

   ❖ इस पोर्टल पर 24 नवंबर, 2022 से जनता की प्रतिभागिता निम्न प्रकार है:
   ❖ अधिकतम प्रतिभागिता अर्थात 3.1 लाख, संविधान दिवस पर देखी गई।

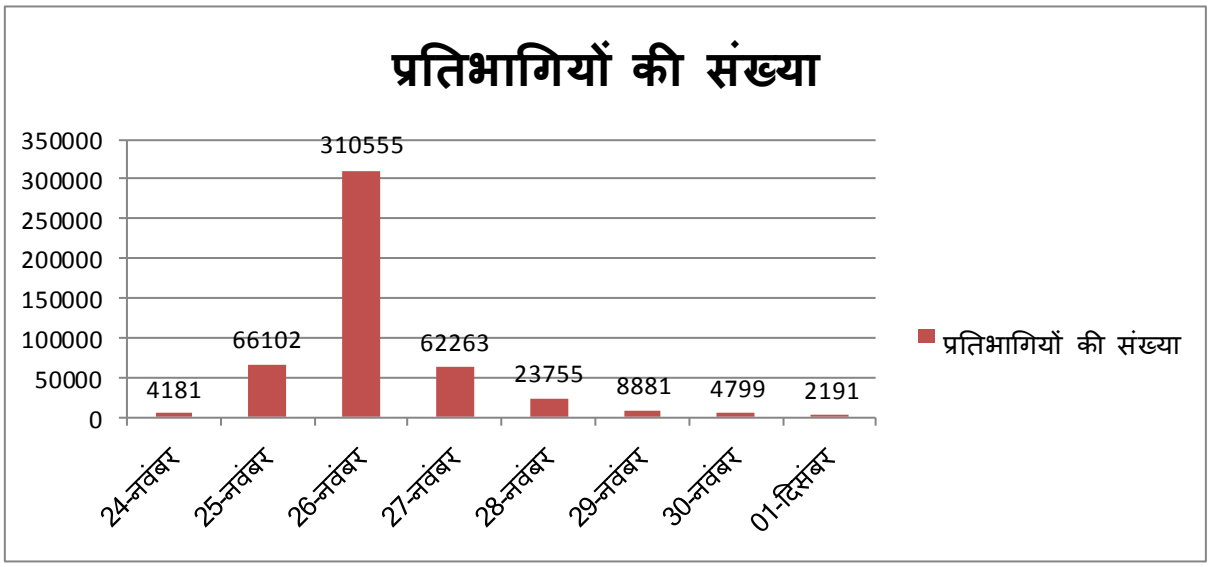

❖ प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या (01.12.2022 तक) 4,82,727 है।

पिछले वर्ष 6.45 लाख लोगों की भागीदारी की तुलना में इस वर्ष दोनों पोर्टलों पर 13 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।

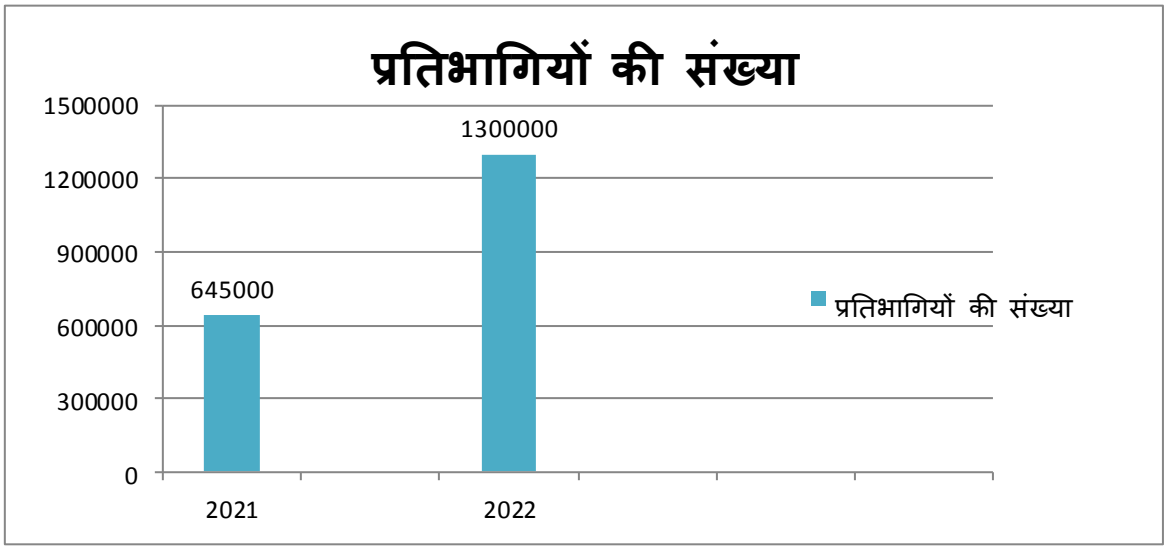

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1
(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1.	2	3	4	5	6
सत्रहवीं लोक सभा का 8वां सत्र और राज्य सभा का 256वां सत्र					
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
1	चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021	17/12/2021 लो.स.	30/03/2022	5/4/2022	18/04/2022 2022 का 12
वित्त मंत्रालय					
2	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022	14/03/2022 लो.स.	14/03/2022	21/03/2022	23/03/2022 2022 का 2
3	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022	14/03/2022 लो.स.	14/03/2022	21/03/2022	23/03/2022 2022 का 3
4	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022	14/03/2022 लो.स.	14/03/2022	23/03/2022	25/03/2022 2022 का 4
5	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022	14/03/2022 लो.स.	14/03/2022	23/03/2022	25/03/2022 2022 का 5
6	वित्त विधेयक, 2022	01/02/2022 लो.स.	25/03/2022	29/03/2022	30/03/2022 2022 का 6
7	विनियोग विधेयक, 2022	24/03/2022 लो.स.	24/03/2022	29/03/2022	30/03/2022 2022 का 7
गृह मंत्रालय					
8	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022	25/03/2022 लो.स.	30/03/2022	5/4/2022	18/04/2022 2022 का 10
9	दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022	28/03/2022 लो.स.	4/4/2022	6/4/2022	18/04/2022 2022 का 11
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
10	संविधान (अनूसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022	7/2/2022 रा.स.	5/4/2022	30/03/2022	08/04/2022 2022 का 8
11	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022	7/2/2022 लो.स.	28/03/2022	6/4/2022	18/04/2022 2022 का 9
सत्रहवीं लोक सभा का 9वां सत्र और राज्य सभा का 257वां सत्र					
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
1	भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022	1/4/2022 लो.स.	22/07/2022	1/8/2022	06/08/2022 2022 का 13
विदेश मंत्रालय					
2	सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022	5/4/2022 लो.स.	6/4/2022	1/8/2022	06/08/2022 2022 का 14

शिक्षा मंत्रालय					
3	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022	1/8/2022 लो.स.	3/8/2022	8/8/2022	16/08/2022 2022 का 17
विधि और न्याय मंत्रालय					
4	कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022	18/07/2022 लो.स.	26/07/2022	4/8/2022	12/08/2022 2022 का 16
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय					
5	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021	17/12/2021 लो.स.	27/07/2022	3/8/2022	12/08/2022 2022 का 15
सत्रहवीं लोक सभा का 10वां सत्र और राज्य सभा का 258वां सत्र					
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
1	वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022	17/12/2021 लो.स.	2/8/2022	8/12/2022	19/12/2022 2022 का 18
विदेश मंत्रालय					
2	समुद्री दस्युता रोधी विधेयक, 2022	09/12/2019 लो.स.	19/12/2022	21/12/2022	31/01/2023 2023 का 3
वित्त मंत्रालय					
3	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2022	14/12/2022 लो.स.	14/12/2022	21/12/2022	24/12/2022 2022 का 21
4	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2022	14/12/2022 लो.स.	14/12/2022	21/12/2022	24/12/2022 2022 का 22
विधि और न्याय मंत्रालय					
5	नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022	05/08/2022 लो.स.	08/08/2022	14/12/2022	30/12/2022 2022 का 23
विद्युत मंत्रालय					
6	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022	03/08/2022 लो.स.	08/08/2022	12/12/2022	19/12/2022 2022 का 19
जनजातीय कार्य मंत्रालय					
7	# संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022	28/03/2022 लो.स.	21/12/2022	14/12/2022	24/12/2022 2022 का 20
8	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022	09/12/2022 लो.स.	15/12/2022	22/12/2022	02/01/2023 2023 का 1
9	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022	09/12/2022 लो.स.	19/12/2022	22/12/2022	02/01/2023 2023 का 2

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को लोक सभा द्वारा स्वीकार गया।

परिशिष्ट-3
(देखें पैरा 4.7)

17वीं लोक सभा के 10वें सत्र और राज्य सभा के 258वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

1. निरसन और संशोधन विधेयक, 2022

II. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

2. बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
3. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022

III. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

4. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
5. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
6. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

IV. संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

7. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
8. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2022

V. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक

9. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

<u>राज्य सभा</u>

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
3. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022

II. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

4. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
5. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
6. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
7. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

III. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

8. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
9. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
10. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
11. बीज विधेयक, 2004
12. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
13. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
14. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
15. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
16. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
17. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
18. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
19. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
20. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
21. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
22. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
23. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
24. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
25. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2020
26. मध्यकता विधेयक, 2021

परिशिष्ट - 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
केंद्रीय बजट							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		**तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण	01.02.2022	01	31	01.02.2021	-	-
2.	वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	07.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 10.02.2022	15	35	08.02.2022 09.02.2022 10.02.2022 11.02.2022	11	08
3.	रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	15.03.2022 16.03.2022	12	59	#	#	#
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	16.03.2022 21.03.2022 22.03.2022	11	28	#	#	#
5.	नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	22.03.2022 23.03.2022	07	53	#	#	#
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	23.03.2022 24.03.2022	06	10	#	#	#
7.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान।	24.03.2022	04	41	#	#	#
8.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2022-23 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) कृषि और किसान कल्याण (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) रसायन और उर्वरक (5) कोयला (6) संचार (7) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (8) सहकारिता (9) कारपोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) रक्षा (12) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (13) पृथ्वी-विज्ञान (14) शिक्षा (15)इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	24.03.2022	-	08	#	#	#

	(16) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (17) विदेश (18) वित्त (19) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (21) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (22) भारी उद्योग और लोक उद्यम (23) गृह (24) आवासन और शहरी कार्य (25) सूचना और प्रसारण (26) जल शक्ति (27) श्रम और रोजगार (28) विधि और न्याय (29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (30) खान (31) अल्पसंख्यक कार्य (32) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (33) पंचायती राज (34) संसदीय कार्य (35) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (36) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (37) योजना (38) विद्युत (39) लोक सभा (40) राज्य सभा (41) उप राष्ट्रपति सचिवालय (42) ग्रामीण विकास (43) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (44) कौशल विकास और उद्यमशीलता (45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (46) अंतरिक्ष विभाग (47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (48) इस्पात (49) वस्त्र (50) पर्यटन (51) जनजातीय कार्य (52) महिला और बाल विकास (53) युवा कार्यक्रम और खेल।						
9.	(i) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित बजट	14.03.2022	05	57	#	#	#
	(ii) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित अनुदान मांगें;						
	(iii) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें;						
	(iv) वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें - तीसरा और अंतिम बैच; और						
	(v) वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें;						
10.	वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (2022-23 का पहला बैच) वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें।	14.12.2022	10	53	#	#	#

टिप्पणी: #राज्य सभा में विभिन्न मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयकों के माध्यम से चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां - 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां - 240 नहीं - 109 अनुपस्थित - 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.05.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20

7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां - 190 नहीं - 338 अनुपस्थित - 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां - 269 नहीं - 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 256	15	11

परिशिष्ट-6

(देखें पैरा 5.5)

01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

1. डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 7 का संशोधन आदि)
2. श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 29 के स्थान पर नए अनुच्छेद तथा उसके उपशीर्ष का प्रतिस्थापन)
3. श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य द्वारा अम्ल हमलों का निवारण और अम्ल हमला पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2021
4. श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
5. डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा गुटखा और पान मसाला (प्रतिषेध) विधेयक, 2020
6. श्री फिरोज़ वरूण गांधी, संसद सदस्य द्वारा विदेशी लोक पदधारी और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2019
7. डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म डिलीवरी कार्मिक (संरक्षण) विधेयक, 2020
8. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा कर राजस्व का न्यायसम्मत उपयोग (सरकारी विज्ञापनों के लिए) विधेयक, 2020
9. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा महिला (विकास और कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2021
10. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2021
11. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 5 और 9 का संशोधन)
12. श्री बेनी बेहानन, संसद सदस्य द्वारा निराश्रित और उपेक्षित महिला (कल्याण) विधेयक, 2019
13. श्री बेनी बेहानन, संसद सदस्य द्वारा तटीय परिक्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2019
14. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य द्वारा मानसिक विमन्दित बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2019
15. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 66गक का अंत:स्थापन)
16. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)
17. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 7 का संशोधन)
18. श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय लघु राज्य निर्माण बोर्ड विधेयक, 2021

19. श्री के. नवास्कानी, संसद सदस्य द्वारा श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन)
20. श्री रामदास तडस, संसद सदस्य द्वारा विदर्भ राज्य के गठन के लिए आयोग विधेयक, 2020
21. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
22. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2021
23. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2020
24. डा. अलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में अनिवार्य योग और खेल शिक्षा विधेयक, 2021
25. श्री फिरोज़ वरूण गांधी, संसद सदस्य द्वारा अधिशेष भोजन का अनिवार्य दान विधेयक, 2020
26. श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (नई धारा 6क का अंत:स्थापन)
27. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य द्वारा रक्षा कार्मिक परिवार कल्याण विधेयक, 2020
28. प्रो. सौगत रॉय, संसद सदस्य द्वारा पंथनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव (परिरक्षण) विधेयक, 2020
29. डा शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा शरणस्थल विधेयक, 2021
30. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य द्वारा प्री-स्कूल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2020
31. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, संसद सदस्य द्वारा ओडिशा राज्य के कोरापुट, बलांगिर तथा कालाहांडी क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020
32. श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा आयोग विधेयक, 2020
33. श्री सैयद इम्तियाज़ जलीज, संसद सदस्य द्वारा भोजन अपव्यय में कमी और अतिरिक्त भोजन का पुनर्वितरण विधेयक, 2020
34. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जनगणना और अन्य कल्याणकारी उपबंध) विधेयक, 2021
35. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर मानदंड को हटाया जाना) विधेयक, 2021
36. श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुसूची I का संशोधन)
37. डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य भिक्षुक (सशक्तिकरण, कौशल विकास और पुनर्वास) विधेयक, 2021
38. डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा काम का अधिकार विधेयक, 2021
39. श्री गौपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (उद्देशिका का संशोधन, आदि)
40. श्री गौपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2022
41. डा. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 124क का लोप)
42. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2021
43. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा संसद सदस्य (खिलाड़ियों का अंगीकरण) विधेयक, 2022
44. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा वित्तीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2022

45. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष नकद अंतरण (गरीब गृहस्थियों को वित्तीय सहायता) विधेयक, 2022
46. डा. गदम रंजीत रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 (तेरहवीं अनुसूची का संशोधन)
47. डा. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजातियां (पदों और सेवाओं में आरक्षण और रिक्तियों का समयबद्ध रीति से भरा जाना) विधेयक, 2021
48. डा. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा नगर पालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 2021
49. डा. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
50. श्री कुंवर दानिश अली, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 243ग का संशोधन)
51. डा. गदम रंजीत रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी विधेयक, 2021
52. श्री संजय भाटिया, संसद सदस्य द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2021 (नई धारा 43क का अंत:स्थापन)
53. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा असम राज्य में नदी द्वीपों पर रहने वाले व्यक्ति (कल्याण और जनगणना) विधेयक, 2021
54. डा. डी.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा तमिलनाडु राज्य में पुरातत्व स्थल और अवशेष तथा प्राचीन स्मारकों के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2021
55. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 11 और 20 का संशोधन)
56. डा. कलानिधि वीरस्वामी, संसद सदस्य द्वारा शिशु, बालक और युवा वयस्क (व्यापक देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2022
57. श्री दिलेश्वर कामैत, संसद सदस्य द्वारा शहीद (पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी) विधेयक, 2022
58. श्री ए. राजा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)
59. श्री ए. राजा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)
60. डा. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., संसद सदस्य द्वारा हिंदू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 7क का अंत:स्थापन)
61. श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 166 का संशोधन)
62. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
63. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 85 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)
64. श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य द्वारा धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक, 2020
65. श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य, पेयजल और चारा पूर्ति अनुरक्षण विधेयक, 2020

66. श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य द्वारा व्यथित विधवाएँ और एकल महिलाएँ (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक, 2021
67. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
68. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक, 2021
69. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
70. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
71. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
72. श्री मलूक नागर, संसद सदस्य द्वारा कृषकों के परिवार का संरक्षण विधेयक, 2020
73. श्री मलूक नागर, संसद सदस्य द्वारा कृषक (गारंटीकृत आय एवं कल्याण) विधेयक, 2020
74. श्री मलूक नागर, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय लघु राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2020
75. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 338ग का अंत:स्थापन)
76. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा एकसमान शिक्षा विधेयक, 2019
77. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा कृषक कल्याण विधेयक, 2019
78. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक, 2019
79. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (नए अनुच्छेद 239ग का अंत:स्थापन)
80. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)
81. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2022
82. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 4क का अंत:स्थापन, आदि)
83. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा ग्रामीण आयुर्विज्ञान शिक्षा विधेयक, 2022
84. श्री लावू श्रीकृष्णा देवारायलू, संसद सदस्य द्वारा ऐप विकासकर्ता (संरक्षण) विधेयक, 2022
85. श्रीमती दिया कुमारी, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय (राजसमंद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2022
86. श्री मनीष तिवारी, संसद सदस्य द्वारा हिंदू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 13 का संशोधन)
87. श्री मनीष तिवारी, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 126 का संशोधन)
88. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 62 का संशोधन)
89. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा थैलेसीमिया निवारण विधेयक, 2022
90. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 40क और 40ख का अंत:स्थापन)
91. श्री गौपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा यथोचित आवासन (एक परिवार-एक शौचालय) का अधिकार विधेयक, 2022

92. श्री देवजी एम. पटेल, संसद सदस्य द्वारा वन्यजीवों के हमलों के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2022
93. श्रीमती चिंता अनुराधा, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अध्याय 10क का अंत:स्थापन)
94. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा रूपांतरण चिकित्सा (प्रतिषेध) विधेयक, 2022
95. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 72क का अंत:स्थापन, आदि)
96. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 88 और 89 का संशोधन)
97. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य द्वारा विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2019
98. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2019
99. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (नई धारा 3ग का अंत:स्थापन)
100. डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में हृदयफुप्फसीय पुनरूज्जीवन (सीपीआर) का अनिवार्य प्रशिक्षण विधेयक, 2019
101. डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
102. डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
103. डा. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
104. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्य द्वारा मछुआरा कल्याण निधि विधेयक, 2019
105. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
106. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्य द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में यौन शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2021
107. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान राज्य में जल निकायों के संरक्षण हेतु विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020
108. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 338ग का अंत:स्थापन)
109. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान राज्य में वृक्षों के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
110. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019
111. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में जल-निकायों के संरक्षण हेतु विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020
112. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में वृक्षों के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
113. श्री राहुल कासवान, संसद सदस्य द्वारा अनुसूची-एच में उल्लिखित औषधियों के विक्रय का विनियमन विधेयक, 2020

114. श्री राहुल कासवान, संसद सदस्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी का संदाय (प्राईवेट स्कूल शिक्षकों के लिए) विधेयक, 2020
115. श्री राहुल कासवान, संसद सदस्य द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 (नई धारा 2क का अंत:स्थापन)
116. श्री फिरोज़ वरूण गांधी, संसद सदस्य द्वारा किसानों को कृषि उत्पाद के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति का अधिकार विधेयक, 2022
117. श्री विंसेंट एच. पाला, संसद सदस्य द्वारा नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
118. श्री विंसेंट एच. पाला, संसद सदस्य द्वारा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
119. श्रीमती रिति पाठक, संसद सदस्य द्वारा कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं और कल्याण) विधेयक, 2019
120. डा. सुकांत मजूमदार, संसद सदस्य द्वारा पश्चिम बंगाल में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019
121. डा. सुकांत मजूमदार, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण (गैर जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का प्रबंधन और नियंत्रण) विधेयक, 2020
122. श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या (नियंत्रण) विधेयक, 2021
123. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आयोग विधेयक, 2021
124. श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में संविधान का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019
125. श्री संतोख सिंह चौधरी, संसद सदस्य द्वारा पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020
126. श्री संतोख सिंह चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 124 का संशोधन, आदि)
127. श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
128. डा. थोल तिरूमावलवन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 243ग और 243घ का संशोधन)
129. डा. थोल तिरूमावलवन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (उद्देशिका का संशोधन, आदि)
130. डा. थोल तिरूमावलवन, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
131. श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (नई धारा 22क का अंत:स्थापन)
132. श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा यकृतशोध (विभेद निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2021
133. डा. डी. रविकुमार, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
134. डा. डी.एम. खतीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2022
135. डा. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., संसद सदस्य द्वारा एलजीबीटीक्यूआईए+ व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2022

136. डा. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची का संशोधन)
137. श्री अब्दुल खलील, संसद सदस्य द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
138. श्री कुवंर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)
139. श्री कुवंर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा पान उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2022
140. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम, संसद सदस्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 60 का संशोधन, आदि)
141. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) विधेयक, 2022
142. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
143. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा उपशामक देखरेख बोर्ड विधेयक, 2022
144. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3च का अंत:स्थापन, आदि)
145. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2022
146. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2022
147. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
148. डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा विधिविरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) निरसन विधेयक, 2022
149. डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा परंपरागत ज्ञान संरक्षण विधेयक, 2022
150. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 299 का संशोधन)
151. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
152. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य द्वारा सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
153. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य द्वारा नशामुक्ति केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध विधेयक, 2019
154. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 248 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)
155. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 371ट का अंत:स्थापन)
156. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 84 का संशोधन, आदि)
157. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा औद्योगिक नियोजन और पर्यावरणीय संरक्षण विधेयक, 2021
158. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य द्वारा महिला कृषक हकदारी विधेयक, 2021

159. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय परामर्श आयोग विधेयक, 2019
160. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अध्याय 2क का अंत:स्थापन)
161. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य सैन्य भर्ती विधेयक, 2019
162. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 12 का संशोधन)
163. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 93 का संशोधन)
164. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा अग्निपथ योजना विधेयक, 2022
165. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2019
166. डा. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा बाल श्रम (उत्सादन) विधेयक, 2019
167. डा. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा गुमशुदा बालक (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2019
168. श्री मिधुन रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा मूलभूत खाद्य वस्तु मूल्य निर्धारण बोर्ड विधेयक, 2019
169. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा जल का अधिकार विधेयक, 2020
170. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 220क का अंतःस्थापन)
171. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 123क का अंतःस्थापन)
172. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 366 का संशोधन)
173. श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग विधेयक, 2021
174. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा बांधों, जलाशयों और नदियों का अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन विधेयक, 2021
175. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा भारी वर्षा, चक्रवातों और अन्य कारणों से आने वाली बाढ़ के पीड़ित (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2021
176. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा बहु-अंकीय लॉटरी प्रतिषेध विधेयक, 2021
177. डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, मंदबुद्धि बालकों और दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2021
178. श्री निहाल चंद, संसद सदस्य द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 20झ का संशोधन)
179. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य द्वारा ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2021
180. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा (बकाया फीस और शिक्षा ऋण के भुगतान से छूट) विधेयक, 2021
181. डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा बाढ़ नियंत्रण और प्रबंध विधेयक, 2021
182. डा. अलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा बिहार राज्य विशेष वित्तीय सहायता (कृषक कल्याण हेतु) विधेयक, 2021
183. श्री विद्युत बरन महतो, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची का संशोधन)
184. श्री विद्युत बरन महतो, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची का संशोधन)

185. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण विधेयक, 2022
186. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
187. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण और विधवापन की प्रथा का उन्मूलन विधेयक, 2022
188. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा पुरातत्वीय और प्राकृतिक विरासत संरक्षण और अनुरक्षण विधेयक, 2022
189. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा महासागर तापीय ऊर्जा उपयोग विधेयक, 2022
190. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के वन क्षेत्रों में जल निकायों के विकास और पुनरूद्धार के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
191. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2022
192. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा राजस्थान राज्य के वन क्षेत्रों में जल निकायों के विकास और पुनरूद्धार के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
193. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य द्वारा हिंदू धार्मिक उपासना स्थल (पशुवध, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने और परोसने और उपभोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2022
194. श्री दिलेश्वर कामेत, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2022 (अनुसूची का संशोधन)
195. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय (राजभाषा का प्रयोग) विधेयक, 2022
196. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय जल विश्वविद्यालय विधेयक, 2022
197. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा कृषि कर्मकार (कल्याण और संरक्षण) विधेयक, 2022
198. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण का प्रतिषेध विधेयक, 2022
199. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा विशेष सिंचाई विकास निधि (वन क्षेत्रों के लिए) विधेयक, 2022
200. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा बालिका (वाणिज्यिक दुर्व्यापार का निवारण, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2022
201. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण) विधेयक, 2022
202. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला विकास और निगरानी समिति विधेयक, 2022
203. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा हरित क्षेत्र अवसंरचना विकास बोर्ड विधेयक, 2022
204. डा. सुकांत मजुमदार, संसद सदस्य द्वारा पूर्वी क्षेत्र पर्यटन संप्रवर्तन प्राधिकरण विधेयक, 2022
205. डा. सुकांत मजुमदार, संसद सदस्य द्वारा मछुआरा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2022
206. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2022
207. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 30 का लोप)

208. श्रीमती दिया कुमारी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
209. डा. सुकांत मजुमदार, संसद सदस्य द्वारा पान उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2022
210. श्री अनुराग शर्मा, संसद सदस्य द्वारा सूखा-रोधी उपाय और शमन विधेयक, 2022
211. श्री मिधुन रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आयोग विधेयक, 2022
212. श्री कुवंर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा सरकारी सेवाएं (दिव्यांगजनों की नियुक्ति में कार्यस्थल पर सेवा नियमों का विनियमन) विधेयक, 2022
213. श्री कुवंर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 25 का संशोधन)
214. श्री कुवंर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 325 का संशोधन)
215. श्री धनुष एम. कुमार, संसद सदस्य द्वारा आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में संघ सरकार की परीक्षाओं का संचालन विधेयक, 2022
216. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
217. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा युवक कल्याण विधेयक, 2022
218. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2022
219. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा अनाथ (सरकारी स्थापनों में पदों का आरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022
220. श्री फिरोज़ वरूण गांधी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय रोजगार संहिता, 2022
221. श्री धनुष एम. कुमार, संसद सदस्य द्वारा भोजन अपव्यय में कमी लाने संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति विधेयक, 2022
222. डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)
223. डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय मराठी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022
224. डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में शहरी योजना का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2022
225. डा. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा रिहायशी स्कूल (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए) विधेयक, 2022
226. डा. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा मध्य प्रदेश केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2022
227. डा. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा उपासना स्थल (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2022
228. श्री रमेश चंद बिंद, संसद सदस्य द्वारा पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (नई धारा 13का का अंत:स्थापन)
229. श्री रमेश चंद बिंद, संसद सदस्य द्वारा दंगा, सांप्रदायिक हिंसा और हिंसक प्रदर्शन पीड़ित व्यक्ति (समान प्रतिकर) विधेयक, 2022
230. डा. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 6 और 16 का संशोधन)
231. डा. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन, आदि)

232. डा. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2022
233. श्री निहाल चंद चौहान, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन)
234. श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 126क का अंतःस्थापन)
235. श्री सुब्रत पाठक, संसद सदस्य द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्नातकों के लिए बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2021
236. श्री सुब्रत पाठक, संसद सदस्य द्वारा सुगंध बोर्ड विधेयक, 2021
237. डा. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 272 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)
238. डा. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील, संसद सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
239. डा. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील, संसद सदस्य द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
240. डा. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा स्तन कैंसर (जागरूकता) विधेयक, 2022
241. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
242. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 239कक का संशोधन)
243. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा मछुआरा (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022
244. श्री भर्तृहरी महताब, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 86 का संशोधन)
245. डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2021 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
246. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा रेल (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 11क का अंत:स्थापन)
247. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 43क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
248. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 (धारा 75 का संशोधन)
249. डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा रेल की पटरियों के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण विधेयक, 2022
250. डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता (जल-निकायों का संरक्षण) विधेयक, 2022
251. डा. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा औषधि (कीमत नियंत्रण) विधेयक, 2022
252. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 44क और 51क का अंत:स्थापन)

253. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धाराओं 379क और 379ख का अंत:स्थापन)
254. डा. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 326क और 326ख का संशोधन)
255. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य द्वारा विधवाएं (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022
256. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (दसवीं अनुसूची का लोप)
257. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)
258. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 81 का संशोधन, आदि)
259. श्री मनीष तिवारी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 324 का संशोधन, आदि)
260. श्री प्रद्युत बोरदोलोई, संसद सदस्य द्वारा जलवायु प्रवासी (संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2022
261. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)
262. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 20 और 20क का संशोधन)
263. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा ऋण राहत बोर्ड विधेयक, 2022
264. डा. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 338ग का अंत:स्थापन)
265. डा. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
266. डा. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य द्वारा न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2022
267. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
268. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 124क का लोप, आदि)
269. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची I का संशोधन)
270. डा. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथ बालकों के लिए आवास सुविधा विधेयक, 2022
271. डा. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा तमिलनाडु राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
272. डा. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य द्वारा इंटरनेट शटडाऊन निवारण विधेयक, 2022
273. श्री थॉमस चाज़िकाडन, संसद सदस्य द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 8 का संशोधन, आदि)
274. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य द्वारा असैनिक पुरस्कार (सिफारिश समिति) विधेयक, 2019
275. श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य द्वारा वन संरक्षण संशोधन विधेयक, 2020 (नई धाराओं 3ग और 3घ का अंत:स्थापन)

276. श्री तीरथ सिंह रावत, संसद सदस्य द्वारा वन्य जीव-जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय, विधेयक, 2020
277. श्री रंजीतसिन्हा हिंदुराव नाईक निंबालकर, संसद सदस्य द्वारा कृषि और अन्य ग्रामीण कर्मकार (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022
278. श्री रंजीतसिन्हा हिंदुराव नाईक निंबालकर, संसद सदस्य द्वारा अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2022
279. श्री रंजीतसिन्हा हिंदुराव नाईक निंबालकर, संसद सदस्य द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2022
280. डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 86 का संशोधन)
281. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (नई धारा 3क का अंत:स्थापन)
282. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा भारत में प्रादेशिक घुसपैठ में संलिप्त देशों पर प्रतिबंध विधेयक, 2022
283. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3क का अंत:स्थापन)
284. डा. डी.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2022
285. डा. डी.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
286. डा. डी.एम. कथीर आनंद, संसद सदस्य द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धाराओं 10क और 10ख का अंत:स्थापन)
287. श्री कुंवर दानिश अली, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 58 का संशोधन, आदि)
288. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
289. श्री जगदंम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 3 का संशोधन)
290. श्री जगदंम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)
291. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा कलाकार (सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2019
292. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा मानसिक विमन्दित बालक (कल्याण) विधेयक, 2019
293. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019
294. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महिला किसान कल्याण आयोग विधेयक, 2021
295. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य द्वारा साइकिल चालन संवर्धन विधेयक, 2021
296. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 12 का संशोधन)
297. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्या का निवारण विधेयक, 2022
298. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा यातना निवारण विधेयक, 2022

299. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
300. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 80 का संशोधन, आदि)
301. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3च का अंत:स्थापन, आदि)
302. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 21 का संशोधन)
303. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 7 का संशोधन)
304. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 9क का अंत:स्थापन, आदि)

राज्य सभा

1. डॉ. अमर पटनायक, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (प्रस्तावना और अनुच्छेद 51ए का संशोधन)
2. डॉ. अमर पटनायक, संसद सदस्य द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021
3. डॉ. अमर पटनायक, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
4. डॉ. प्रशांत नन्दा , संसद सदस्य द्वारा दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
5. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (प्रस्तावना में संशोधन)
6. प्रो. मनोज कुमार झा, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक
7. श्री इलामारम करीम, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
8. श्री इलामारम करीम, संसद सदस्य द्वारा श्रम संहिता (निरसन) विधेयक, 2021
9. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, संसद सदस्य द्वारा जलवायु परिवर्तन परिषद विधेयक, 2021
10. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, संसद सदस्य द्वारा महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2021
11. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा दार्जिलिंग खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2022
12. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 168 का प्रतिस्थापन और अनुच्छेद 169 का लोप)
13. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022
14. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा तेजाब हमले के शिकार, पुनर्वास, सहायता और स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2022
15. श्री पी. विल्सन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
16. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन)
17. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय भूमि और आश्रय अधिकार विधेयक, 2022
18. श्री जॉन ब्रिटास, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)

19. श्री जॉन ब्रिटास, संसद सदस्य द्वारा केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनंतपुरम में एक स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक, 2022
20. श्री पी. विल्सन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 200 का संशोधन)
21. डॉ. सस्मित पात्र, संसद सदस्य द्वारा भारतीय संविदा अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 15 का संशोधन)
22. डॉ. सस्मित पात्र, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 77 का संशोधन और नई धारा 127बी, 127सी और 127डी का अंत:स्थापन)
23. श्री संजय सिंह, संसद सदस्य द्वारा नि:शुल्क बिजली का अधिकार विधेयक, 2022
24. श्री संजय सिंह, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (धारा 86 का संशोधन)
25. श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 124, 217 और 222 आदि का संशोधन)
26. श्री विवेक के. तन्खा, संसद सदस्य द्वारा कश्मीरी पंडित (सहारा, बहाली, पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक, 2022
27. श्री महेश पोद्दार, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 498क का संशोधन)
28. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा कुर्सियांग गोरखा फैशन और डिजाइन संस्थान विधेयक, 2022
29. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा कालिम्पोंग चलचित्र और संगीत संस्थान विधेयक, 2022
30. श्री के. सोमप्रसाद, संसद सदस्य द्वारा विनिवेशित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रोजगार में आरक्षण विधेयक, 2022
31. श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य द्वारा विधान और व्यय जवाबदेही विधेयक, 2022
32. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2022
33. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022
34. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 4, 55, 81 आदि का संशोधन)
35. श्री दीपक प्रकाश, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य मतदान विधेयक, 2022
36. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा बंगाल स्वतंत्रता सेनानी स्मारक विधेयक, 2022
37. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना रेजिमेंट विधेयक, 2022
38. श्री जॉन ब्रिटास, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 246 और 254 का संशोधन)
39. श्री जॉन ब्रिटास, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम (राज्यों के हितों का संरक्षण) विधेयक, 2022
40. श्री संदोष कुमार पी., संसद सदस्य द्वारा गृह-आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2022
41. श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य द्वारा महामारी रोग (रोकथाम, तैयारी और प्रबंधन) विधेयक, 2021
42. श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2022
43. श्री संदोष कुमार पी., संसद सदस्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2022
44. श्री संदोष कुमार पी., संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक, 2022

45. श्री वि. विजयसाई रेड्डी,संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 3ए का अंत:स्थापन)
46. श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022
47. श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 2022
48. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा राज्य संसाधन संरक्षण विधेयक, 2022
49. श्री राघव चड्ढा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 102, 191 आदि का संशोधन)
50. श्री राघव चड्ढा, संसद सदस्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी विधेयक, 2022
51. डॉ. अशोक कुमार मित्तल, संसद सदस्य द्वारा अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2022
52. डॉ. अशोक कुमार मित्तल, संसद सदस्य द्वारा भारतीय नाभिकीय चिकित्सा संस्थान विधेयक, 2022
53. डॉ. अशोक बाजपेयी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022
54. डॉ. सस्मित पात्र, संसद सदस्य द्वारा साल के पत्तों के संग्राहकों और व्यापारियों का कल्याण विधेयक, 2022
55. डॉ. सस्मित पात्र, संसद सदस्य द्वारा व्यक्तियों का दुर्व्यापार (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2022
56. डॉ. सस्मित पात्र, संसद सदस्य द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2022
57. श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022
58. श्री बिनोय विस्वम, संसद सदस्य द्वारा भगत सिंह राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी विधेयक, 2022
59. डा. किरोड़ी लाल मीणा, संसद सदस्य द्वारा भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक, 2020
60. श्री ईरण्ण कडाडी, संसद सदस्य द्वारा अंर्तराष्ट्रीय कन्नड़ विश्वविद्यालय विधेयक 2022
61. प्रो. मनोज कुमार झा, संसद सदस्य द्वारा घृणा अपराध और घृणास्पद भाषण (मुकाबला, रोकथाम और सजा) विधेयक, 2022
62. प्रो. मनोज कुमार झा, संसद सदस्य द्वारा संसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2022
63. प्रो. मनोज कुमार झा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16, 124 का संशोधन)
64. श्री पी. विल्सन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 102, 155, 156 आदि का संशोधन)
65. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 124 और 220 का संशोधन)
66. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2022
67. डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21बी का समावेशन)
68. श्री जावेद अली खान, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)
69. श्री जावेद अली खान, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य प्रतीकों के अपमान की रोकथाम विधेयक, 2022
70. श्री तिरुची शिवा, संसद सदस्य द्वारा राजभाषा विधेयक, 2022
71. श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य द्वारा डिजिटल साक्षरता का अधिकार विधेयक, 2022
72. श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022

73. श्री देरेक ओब्राईन, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022
74. डॉ. जॉन ब्रिटास, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2022
75. डॉ. जॉन ब्रिटास, संसद सदस्य द्वारा मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2022
76. डॉ. जॉन ब्रिटास, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 324 का संशोधन)
77. श्री संदोष कुमार पी., संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
78. श्री संदोष कुमार पी., संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा स्फीति नियंत्रण आयोग विधेयक, 2022
79. श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 124, 127, 1281, 222 इत्यादि का संशोधन, अनुच्छेद 124ए, 124बी और 124सी का प्रतिस्थापन)
80. श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य,संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022
81. श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 270, 271, 280 का संशोधन और अनुच्छेद 342बी का समावेशन)
82. श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य द्वारा व्यक्तियों को डायन बताकर उन्हें उत्पीड़ित करने और अन्न्य अपहानिकर प्रथाओं की रोकथाम और निवारण विधेयक, 2022
83. श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022
84. श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन विधेयक, 2022
85. श्री जयंत चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
86. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा सर्व धर्म मंदिर विधेयक, 2022
87. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा माँ ममता (अनाथ कल्याण) योजना विधेयक, 2022
88. श्रीमती शांता क्षत्री, संसद सदस्य द्वारा दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के गोरखा मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2022
89. डॉ. फौजिया खान, संसद सदस्य द्वारा लोक सेवाओं का प्रत्याभूत परिदान और उत्तरदायित्व विधेयक, 2022

परिशिष्ट - 7
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगठन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

<u>गणपूर्ति (कोरम)</u>

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

क्र.सं.	**परामर्शदात्री समिति का नाम**
1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

निम्नलिखित स्थानों पर मोबाइल/टेलीफोन तथा फैक्स नंबर

(क) दिल्ली का पता:.....

.....

(ख) स्थायी पता:.....

.....

(ग) ईमेल आईडी:

सेवा में

अवर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
90, संसद भवन,
नई दिल्ली।
टेलीफोन नंबर : 011-23034728
फैक्स नंबर : 011-23034744
011-23017557
ई-मेल आईडी : anil.kumar.mopa@nic.in

परिशिष्ट - 8

(देखें पैरा 8.4)

17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3.	नागर विमानन मंत्रालय
4.	कोयला और खान मंत्रालय
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
7.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
8.	रक्षा मंत्रालय
9.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
10.	शिक्षा मंत्रालय
11.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय
12.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
13.	विदेश मंत्रालय
14.	वित्त मंत्रालय
15.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
19.	गृह मंत्रालय
20.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
21.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
22.	जल शक्ति मंत्रालय
23.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
24.	विधि और न्याय मंत्रालय
25.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
26.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
27.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
28.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
29.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

30.	रेल मंत्रालय
31.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
32.	ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय
33.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
34.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
35.	इस्पात मंत्रालय
36.	वस्त्र मंत्रालय
37.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
38.	महिला और बाल विकास मंत्रालय
39	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट - 9
(देखें पैरा 8.5)

वर्ष 2022 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	23.03.2022, 27.07.2022, 23.12.2022
चर्चा किए गए विषय	किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, कुपोषण दूर करने के लिए बायोफोर्टिफाइड फसलें
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	01.04.2022
चर्चा किए गए विषय	नैनो यूरिया
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	11.04.2022, 18.07.2022, 08.12.2022
चर्चा किए गए विषय	ई बीसीएएस, डिजीयात्रा, गगन
कोयला और खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	23.02.2022, 10.11.2022
चर्चा किए गए विषय	कोयला लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन, कोयला खदानों को बंद करना, सभी के लिए न्यायोचित संक्रमण का अर्जन
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	24.03.2022, 04.08.2022, 23.11.2022
चर्चा किए गए विषय	निर्यात प्रदर्शन और निर्यात में और वृद्धि के उपाय, प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान, निर्यात प्रदर्शन,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	08.03.2022, 04.04.2022
चर्चा किए गए विषय	चावल फोर्टिफिकेशन, चावल फोर्टिफिकेशन
संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	29.09.2022
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय पर्यटन नीति
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.04.2022, 11.07.2022, 02.12.2022
चर्चा किए गए विषय	सैन्य प्रशिक्षण (नौसेना, थलसेना और वायु सेना), अग्निपथ योजना, रक्षा शिपयार्ड

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	29.09.2022
चर्चा किए गए विषय	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र का विकास
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	04.04.2022
चर्चा किए गए विषय	सेमीकंडक्टर नीति और पारिस्थितिकी तंत्र
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	21.03.2022, 07.04.2022, 08.08.2022, 23.12.2022
चर्चा किए गए विषय	परिवेश, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) नियम, कृषि वानिकी, सीआईटीईएस-सीओपी 19 में भारत
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	03.03.2022, 18.06.2022
चर्चा किए गए विषय	यूक्रेन की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति
वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	06.04.2022, 05.08.2022, 23.12.2022
चर्चा किए गए विषय	प्रधानमंत्री गति शक्ति के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय और बढ़े हुए पूंजीगत परिव्यय का पूर्ण उपयोग, भारत जी-20 के अध्यक्ष के रूप में, रूचि/सुझाव के मामले, बजट के लिए सुझाव
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	08.03.2022, 30.06.2022, 04.11.2022
चर्चा किए गए विषय	विकास योजनाओं के माध्यम से डेयरी संबंधी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में नई तकनीक को अपनाना, उद्यमिता के अवसर तथा भेड़ और बकरी का आनुवंशिक उन्नयन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	31.03.2022, 04.08.2022, 21.12.2022
चर्चा किए गए विषय	कोविड प्रबंधन, भारत में स्वस्थ होना, "आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)"
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	15.04.2022
चर्चा किए गए विषय	जलवायु परिवर्तन और विनिर्माण
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	06.04.2022, 25 से 26.06.2022

चर्चा किए गए विषय	नशीली दवाओं का दुरूपयोग, इसकी चुनौतियां और विनियमन (i) आपदा प्रबंधन; और (ii) फोरेंसिक विज्ञान क्षमताएं: यथासमय और वैज्ञानिक जांच के लिए सुदृढ़ीकरण
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	04.08.2022
चर्चा किए गए विषय	अमृत और अमृत 2.0
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	05.08.2022, 07.12.2022
चर्चा किए गए विषय	प्रसार भारती द्वारा अभिलेखीय सामग्री का मुद्रीकरण, केंद्रीय संचार ब्यूरो - सूचना प्रसार में क्रांति
जल शक्ति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	15.03.2022, 30.6.2022 से 01.07.2022
चर्चा किए गए विषय	स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अटल भूजल योजना के साथ भूजल पुनर्भरण और जल शक्ति अभियान
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	01.04.2022, 03.08.2022, 22.12.2022
चर्चा किए गए विषय	(i) ईएसआईसी (ii) पीएमजेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) और एबीडीएम (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के साथ ईएसआईसी का अभिसरण, (i) कवरेज; (ii) शिकायत निवारण प्रणाली; और (iii) ईपीएफओ का मानव संसाधन प्रबंधन, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल
विधि और न्याय मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	02.08.2022
चर्चा किए गए विषय	कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली; और कानूनी सहायता कार्यक्रम - अभिनव, नागरिक केंद्रित सेवाएं डिजाइन करना
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	16.09.2022
चर्चा किए गए विषय	जैव ईंधन और सीबीजी
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	05
बैठकों की तारीखें	17.02.2022, 26.05.2022, 04.08.2022, 11.10.2022, 21.12.2022
चर्चा किए गए विषय	जेनकोस का बकाया और डिस्कॉम और राज्यों में आवश्यक वित्तीय अनुशासन, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सामाजिक पहुंच, ऊर्जा संरक्षण उपाय, भारत में राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का विकास - इसका महत्व, वर्ष 2030 के लिए अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि।

रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	03.03.2022
चर्चा किए गए विषय	कवच - रेल सुरक्षा प्रणाली।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	24.03.2022
चर्चा किए गए विषय	सड़क सुरक्षा
ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	10.02.2022, 28.06.2022
चर्चा किए गए विषय	(i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और (ii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण - राज्यों/पीआरआईज की भूमिका
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	01.04.2022, 24.09.2022
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की भूमिका, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की भूमिका
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	02.11.2022, 23.12.2022
चर्चा किए गए विषय	नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए), अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	10.02.2022, 06.05.2022, 01.07.2022, 08.12.2022
चर्चा किए गए विषय	द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की सहायता करने वाली नीति, ग्रीन इस्पात, इस्पात क्षेत्र में परिपथीय अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप, इस्पात क्षेत्र में कच्चा माल
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	06.04.2022, 22.11.2022, 19.12.2022
चर्चा किए गए विषय	वस्त्र मंत्रालय की पीएलआई और पीएम मित्र योजना, भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प का विकास, वस्त्र निर्यात संवर्धन और 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के सपने को साकार करने के लिए उठाए गए कदम
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	20.07.2022
चर्चा किए गए विषय	जनजातीय स्वास्थ्य पोषण और एफआरए

महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	06.04.2022, 27.07.2022, 22.12.2022
चर्चा किए गए विषय	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति, नए दत्तक ग्रहण नियम, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यप्रणाली
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	07.04.2022
चर्चा किए गए विषय	एनएसएस के विशेष संदर्भ में राष्ट्र निर्माण में युवा स्वयंसेवकों की भूमिका

परिशिष्ट - 10

(देखें पैरा 11.8)

मंत्रालय में 14 से 29 सितंबर, 2022 के दौरान मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1.	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, स.अ.अ	प्रथम
		2	श्री जागवेन्द्र निरंजन, स.अ.अ	द्वितीय
		3	श्री अनुज कुमार, स.अ.अ	द्वितीय
		4	श्री अरुण कुमार शर्मा, स.अ.अ	तृतीय
		5	श्री राहुल आर्य, कार्यालय सहायक	तृतीय
		6	श्री अविनाश कुमार, स.अ.अ	विशेष
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1	श्री प्रविंद्र खत्री, व.स.स	प्रथम
		2	श्री अविनाश कुमार, स.अ.अ	द्वितीय
		3	श्रीमती रितु, स.अ.अ	द्वितीय
		4	श्रीमती साक्षी अग्रवाल, वैयक्तिक सहायक	तृतीय
		5	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, स.अ.अ	विशेष
3.	गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1	श्री जोगेन्द्र नाथ नायक, निजी सचिव	प्रथम
		2	श्री पी.के हलदर, अवर सचिव	प्रथम
		3	श्री एन. बालाचंद्रन नायर, कार्यालय सहायक	द्वितीय
		4	श्री श्रीधर स्वामी, तकनीकी सहायक	तृतीय
		5	श्री अनुपम नस्कर, तकनीकी सहायक	विशेष
4.	हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1	श्री पवन कुमार, एम.टी.एस	प्रथम
		2	श्री नरेश कुमार, एम.टी.एस	द्वितीय
		3	श्री सुधांशु चौधरी, एम.टी.एस	द्वितीय
		4	श्री आनंद कुमार, एम.टी.एस	तृतीय
		5	श्री राजेश मीना, एम.टी.एस	तृतीय
		6	श्री विष्णु, एम.टी.एस	विशेष
5.	हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिता	1	डॉ .प्रणव भारद्वाज, व.अ.अ	प्रथम
		2	श्री अनुज कुमार, स.अ.अ	द्वितीय
		3	श्री अरुण कुमार शर्मा, स.अ.अ	द्वितीय
		4	श्रीमती प्रियंका बड़थ्वाल, स.अ.अ	तृतीय
		5	श्री जागवेन्द्र निरंजन, स.अ.अ	तृतीय
		6	कु. अपर्णा यादव, क.अ.अ	तृतीय
		7	श्रीमती साक्षी अग्रवाल, वैयक्तिक सहायक	विशेष
		8	श्री अविनाश कुमार, स.अ.अ	विशेष
		9	श्री अंकित मुदगल, स.अ.अ	विशेष

6.	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता	1	श्री अरुण कुमार शर्मा, स.अ.अ	प्रथम
		2	श्री अंकित मुदगल, स.अ.अ	प्रथम
		3	डॉ. प्रणव भारद्वाज, व.अ.अ	द्वितीय
		4	श्रीमती प्रियंका बड़थ्वाल, स.अ.अ	द्वितीय
		5	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, स.अ.अ	तृतीय
		6	श्री अनुज कुमार, स.अ.अ	तृतीय
		7	श्रीमती रेखा भारती, वैयक्तिक सहायक	विशेष
		8	श्रीमती साक्षी अग्रवाल, वैयक्तिक सहायक	विशेष
7.	हिंदी अनुच्छेद लेखन प्रतियोगिता	1	श्रीमती प्रियंका बड़थ्वाल, स.अ.अ	प्रथम
		2	श्री अरुण कुमार शर्मा, स.अ.अ	प्रथम
		3	श्री अंकित मुदगल, स.अ.अ	द्वितीय
		4	श्री अनुज कुमार, स.अ.अ	द्वितीय
		5	कु. अपर्णा यादव, क.अ.अ	द्वितीय
		6	श्रीमती पायल सिंह, कार्यालय सहायक	द्वितीय
		7	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, स.अ.अ	तृतीय
		8	श्रीमती साक्षी अग्रवाल, वैयक्तिक सहायक	तृतीय

मंत्रालय में हिंदी में मूल टिप्पण-आलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए हिंदी मूल टिप्पण-आलेखन नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
1	श्री परेश गोयल, कार्यालय सहायक	प्रथम
2	श्री भवान सिंह, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
3	श्री बैजनाथ महतो, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
4	श्री जय नारायण, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
5	श्री राहुल आर्य, कार्यालय सहायक	द्वितीय
6	श्री बीरेन्द्र कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
7	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
8	श्री जागवेन्द्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
9	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
10	श्री मंजेश कुमार कुशवाहा, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
11	श्रीमती पायल सिंह, कार्यालय सहायक	तृतीय

परिशिष्ट - 11

(देखें पैरा 13.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1	संसद आदर्श ग्राम योजना पर राष्ट्रीय स्तर की समिति (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	श्री राकेश सिंह श्री रमेश पोखरियाल श्री के. राम मोहन नायडू श्री विनसेंट एच. पाला	श्री अरुण सिंह श्री राकेश सिन्हा	18/02/2022
2	जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)	श्री अजय टम्टा	श्री अनिल बलूनी	18/02/2022
3	केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद में सांसदों का नामांकन।	डॉ. सुभाष रामराव डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया	11/04/2022
4	भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की आम सभा	श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर श्री बृजभूषण शरण सिंह	श्रीमती पी.टी. उषा	21/07/2022
5	भारतीय खाद्य निगम (FCI) पर सांसदों का नामांकन	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	श्री एस. सेल्वागनबेथी	14/03/2022
6	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा की सामान्य परिषद	श्री सतीश कुमार गौतम	श्री कामाख्या प्रसाद तासा	20/04/2022
7	मेट्रो रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एमआरयूसीसी) में सांसदों का नामांकन		श्री पि. भट्टाचार्य	03/10/2022
8	राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एनआरयूसीसी) में सांसदों का नामांकन		श्री कृष्ण लाल पंवार श्री सी.वी. शनमुगम श्री पबित्र मार्गेरिटा डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे श्री राम शकल	03/10/2022
9	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी), (पीएमएजीवाई), (बीजेबीसीवाई), (एससीए टू एससीएसपी) पर सांसदों का नामांकन	श्री विष्णु दयाल राम श्री छेदी पासवान	श्री सुधांशु त्रिवेदी	03/10/2022

10	सोसायटी ऑफ वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट, देहरादून, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर लोक सभा से सांसदों का नामांकन	श्री अजय टम्टा श्री राजेन्द्र अग्रवाल	श्री नरेश बंसल	06/09/2022
11	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में एक सांसद का नामांकन		डॉ. कल्पना सैनी	03/10/2022
12	क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियों (आरडीटीएसी), तमिलनाडु और पुडुचेरी क्षेत्र पर सांसद का नामांकन		श्री एम. तंबी दुरै	27/09/2022
13	नेविगेशन सहायता - लाइट हाउस के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन	डॉ. भारतीबेन धीरूभाई शियाल	श्री नारायण कोरागप्पा	07/06/2022

परिशिष्ट - 12

(देखें पैरा 13.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री सन्नी देओल		20/04/2022
2.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		श्री मिथलेश कुमार	21/11/2022
3.	विदेश मंत्रालय		श्री डी.पी. वत्स	18/02/2022
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		डॉ. अमर पटनायक #श्री धनंजय महादिक	18/02/2022 #03/10/2022
5.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		श्री कैलाश सोनी श्री जी.के. वासन	18/02/2022
6.	संस्कृति मंत्रालय		श्री जग्गेश	21/11/2022
7.	आयुष मंत्रालय	श्री ज्ञानेश्वर पाटिल श्री सुनील बाबूराव मेंधे	श्री अनिल जैन श्री बीरेन्द्र प्रसाद	18/02/2022
8.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	श्री रमेश बिधूड़ी श्री सुमेधानंद सरस्वती	श्री आदित्य प्रसाद डॉ. सिकंदर कुमार	03/10/2022
9.	वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, राजस्व विभाग तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति		श्रीमती कांता कर्दम	10/03/2022
10.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री प्रताप चंद्र सारंगी श्री सुनील बाबूराव मेंधे	श्री जुगलसिंह लोखंडवाला	19/07/2022
11.	रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान विभाग तथा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग		श्री बाबू राम निषाद श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी	03/10/2022
12.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक्	03/10/2022
13.	वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और लोक उद्यम विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति		श्रीमत दर्शना सिंह श्री कार्तिकेय शर्मा	03/10/2022
14.	गृह मंत्रालय		श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक	13/10/2022
15.	संस्कृति मंत्रालय		श्री जग्गेश	24/11/2022
16.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		श्री मिथलेश कुमार	23/11/2022
17.	जल शक्ति मंत्रालय	श्रीमती क्वीन ओझा श्री एस. मुनिस्वामी	श्री शंभू शरण पटेल श्री एस. निरंजन रेड्डी	03/10/2022

परिशिष्ट - 13
(देखें पैरा 13.6)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 1,00,000/- प्रतिमाह (संसद सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 01/04/2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2018 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 70,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 60,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 20,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 40,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा। (इन भत्तों में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक कॉल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं तो जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितनी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना

		चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों को लगाने और उनका किराया सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफ़ोन में से किसी एक पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली निवास पर वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड एफ.टी.टी.एच. का लाभ भी उठा सकता है बशर्ते कि इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को केवल रू.2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (होस्टल आवास सहित)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रूपये 1,00,000/- (रूपये 80,000/- स्थायी फर्नीचर + रूपये 20,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति।

		अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/10/2010 से उस ब्याज दर पर जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, रूपये 4,00,000/- जिसे अधिकतम 5 वर्ष या सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के भीतर वापिस लिया जाएगा।
9.	यात्रा भत्ता	**रेल:** यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा। **वायुयान**: एक यात्री भाड़े के बराबर राशि। इसके अलावा नेत्रहीन/शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **स्टीमर** : स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक यात्री भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के)। **सड़क** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों तो सड़क यात्रा भत्ता। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।

10.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो, वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
11.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी गई है कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी।

		जब संसद का सत्र चल रहा हो और सदस्य की पत्नी/पति द्वारा ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय किया जाता है तो रू.16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी जाती है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़े की राशि, जो भी कम हो, के हकदार हैं।
12.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: (क) ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट - 14
(देखें पैरा 13.6)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्ष से अधिक संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए बिना किसी अधिकतम सीमा के रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन बिना किसी अधिकतम सीमा के कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कॉल, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उसमें अधिक की गई खपत को समायोजित करने की अनुमति होगी।

National e-Vidhan Application

National Youth Parliament Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
संसदीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Parliamentary Affairs